

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य भाष्या) जिला सागर, म0प्र0

सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

के

तहत

मूलभूत जानकारियों संबंधी
हस्तपुस्तिका

कार्यालय
जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला—सागर

अध्याय क्र.	विषय—वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	2.	3.
1	प्रस्तावना	
2	जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य	
3	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	
4	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
5	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	
6	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	
7	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	
8	लोक सहायक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारियों का विवरण	
9	निर्णय लेने की प्रक्रिया	
10	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	
11	अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	
12	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	
13	अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	
14	स्थियरत्तों, अनुज्ञा—पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	
15	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	
16	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ	
17	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
18	अन्य उपयोगी जानकारियां	

1.1 हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि ।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, जिला—सागर की संरचना, जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से संबंधित मूलभूत जानकारियां एवं पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी के उत्तरदायित्व एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा कियान्वित योजनाओं व कार्यक्रमों आदि एवं कियाकलापों की जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराने और लोक प्राधिकारियों को जनता के प्रति जबाबदेह रखने के लिए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह पुस्तिका तैयार की गई।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रकाश में जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय सागर एवं इससे सम्बद्ध अधिकारियों के कार्यक्षेत्र, कर्तव्य, कृत्य, दायित्व तथा विभागीय योजनाओं के कियान्वयन से संबंधित सूचनाएँ जनहित में सार्वजनिक करना ।

1.3 हस्तपुस्तिका की उपयोगिता :-

उन समस्त व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अंतर्गत जारी तथा वर्तमान में प्रचलित नियंत्रण आदेशों/नियमों/स्कीम से हो। सभी श्रेणी के राशन कार्डधारियों, वाहन रखने वाले व्यक्तियों, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं, शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों के संगठन, पेट्रोल/डीजल पम्पों के संगठन इत्यादि ।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप / अनुकरणिका –

इन्डेक्स पृष्ठ 1 अनुसार

1.5 परिभाषाएं—

इस हस्तपुस्तिका में संदर्भ से अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो, आए शब्दों के अर्थ नीचे लिखे अनुसार होंगे:-

अधिनियम – अधिनियम से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से है ।

आदेश – अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी आदेश जिसके अंतर्गत तदधीन जारी किया गया कोई निर्देश भी है ।

अधिसूचित आदेश – से अभिप्रेत है शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश ।

आवश्यक वस्तु – से निम्नलिखित वस्तु वर्गों में से कोई अभिप्रेत है—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2 (क) में वर्णित वस्तुएं जिन्हें समय—समय पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से अपने राज्य में घोषित करती है ।

“लोक प्राधिकरण” से तात्पर्य है जिला कलेक्टर, सागर के नियंत्रण में कार्यरत जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर ।

‘उचित मूल्य की दुकान’— से अभिप्रेत ऐसी दुकान से है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशनकार्डधारकों को अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञाप्त किया गया है ।

उचित मूल्य की दुकान का स्वामी :— से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है और उसके अंतर्गत कोई सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार का कोई निगम या कम्पनी या ग्राम पंचायत अथवा ऐसा कोई अन्य निकाय भी है जिसके नाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिये कोई दुकान अनुज्ञाप्त की गई है ।

‘अंत्योदय परिवार’— से अभिप्राय राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों में से पहचान किए गए वे निर्धनतम परिवार से हैं जो अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हकदार हैं ।

कलेक्टर – के अंतर्गत अपर कलेक्टर और ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जो उपखण्ड अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो और जो इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।

जिला कलेक्टर से तात्पर्य उनके अधीन कार्य करने वाला जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर ।
'केरोसीन'– से अभिप्रेत हाईड्रोकार्बन का ऐसा मध्यवर्ती आसुत मिश्रण है जो भारतीय मानक ब्यूरो के तत्संबंधी विनिर्देशों को पूरा करता है और जिसके महत्वपूर्ण लक्षण न्यूनतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रज्जलन बिन्दु और न्यूनतम 18 मिमी. का धूम बिन्दु है ।

गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार (एपीएल परिवार)– से अभिप्रेत हैं ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के राशनकार्ड जारी किए गए हैं ।

'गरीबी रेखा से नीचे के परिवार'– से अभिप्रेत है ऐसे परिवार जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए गरीबी के प्राक्कलनों को अंगीकार करते हुए विशेष रूप से सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई है । तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ।

गैस सिलेण्डर वाल्ब – से ऐसा वाल्ब अभिप्रेत है जो सिलेण्डर में फिट किया हुआ है ।

पहुंचविहीन :– से अभिप्रेत है, ऐसे दुर्गम स्थान जहां वर्षात्रष्टु के समय आना-जाना संभव न हो ।

परिदान करने वाला व्यक्ति – से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जिसे उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर में परिदान करने के लिए किसी सरकारी तेल कम्पनी के किसी वितरक या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा अधिकृत किया गया हो ।

पात्र आवेदक – से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश राज्य का निवासी है और राशनकार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

प्राधिकारी – से अभिप्रेत ऐसा अधिकारी है जो राज्य सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कार्यरत होकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (निरीक्षक) के पद से नीचे के स्तर का न हो ।

भारतीय मानक – का वही अर्थ होगा जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 में वर्णित है ।

भण्डारण स्थल – से अभिप्रेत वह परिसर है जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित या अनुज्ञाप्त है ।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) – से अभिप्रेत हल्के हाईड्रोकार्बनों का ऐसा मिश्रण है जिसके अंतर्गत प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन, ब्यूटिलीन, आदि गैस हो सकते हैं, जो सामान्य परिवेश ताप और वायुमंडलीय दाब पर गैसीय हैं, किन्तु सामान्य परिवेश ताप पर दाब डालने से द्रव अवस्था में संघनित हो सकते हैं और जो भरतीय मानक विनिर्देश के मापदण्ड के अनुरूप हैं ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक – का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1834 का 4) में वर्णित है ।

'राशनकार्ड'– से अभिप्रेत उचित कीमत की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के क्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया दस्तावेज है ।

विभाग :– से अभिप्रेत है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिला-सागर जो कलेक्टर के अधीन कार्यरत है ।

वितरक – से अभिप्रेत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, संस्था, संगठन या सहकारी सोसायटी है, जो सहकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियुक्त है और जो, यथास्थिति किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता के साथ किसी करार के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलेण्डरों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का क्य, विक्रय या विक्रय के लिये भण्डारण करने के कारोबार में लगा हुआ है ।

सरकारी स्कीम – से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ (वितरण नियंत्रण) आदेश, 1960 के खण्ड 4 के अधीन सरकार द्वारा इस निमित्त स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं का वितरण किए जाने हेतु स्कीम ।

'सरकारी तेल कंपनी'– से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

1. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
4. आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड

5. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
6. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. ऑयल इंडिया लिमिटेड, या
8. अन्य कोई सरकारी कंपनी या कानूनी निकाय जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए सरकारी तेल कंपनी घोषित किया हो।

संचालनालय :— से अभिप्रेत है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली'— से अभिप्रेत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वैध राशनकार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं के, जैसे कि चावल, गेहूं चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और ऐसी अन्य वस्तुओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित की जाती है, वितरण की प्रणाली है।

सिलेण्डर — से अभिप्राय कोई ऐसा धातु आधान है जिसका उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के भण्डारण के लिए किया जाता है और जो अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए संपर्क व्यक्ति :-

जिला आपूर्ति नियंत्रक, सागर एवं तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, सागर, खुरई, रहली, बंडा, देवरी, बीना जिला—सागर।

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति के जिला जनसूचना अधिकारी/सहायक जिला जनसूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन देना होगा तथा जिला जनसूचना अधिकारी संबंधित जानकारी के शुल्क की गणना कर आवेदक से शुल्क प्राप्त कर जानकारी प्रदाय करने की अवधि से अवगत करायेगा एवं निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदाय करेगा। यदि निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी जा सकी तो जिला जनसूचना अधिकारी सकारण आवेदक को अवगत करायेगा। यदि आवेदक ऐसी जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो अध्याय 8 में वर्णित अपीलेट अधिकारी के यहां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील दायर की जा सकती है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला सागर के अंतर्गत अभिलेखों/जानकारी की प्रति प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैः—

क्र.	मानकारी का प्रकार/मद का नाम	विवरण	निर्धारित शुल्क
1	2	3	4
1	अभिलेखों का निरीक्षण (कार्यालयीन समय में)	1. प्रथम घण्टे के लिए 2. तत्पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए	20/- 10/-
2	दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां	1. ए—4 आकार के प्रथम पांच पृष्ठ तक प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 2. बी—4 आकार के प्रथम पांच पृष्ठ तक प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 3. ए—3 आकार के प्रथम पांच पृष्ठ तक प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए	10/- 1/- 15/- 2/- 20/- 3/-
3	इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप की जानकारियां	फ्लापी प्रति नग सी.डी. प्रति नग	30/- 50/-
4	अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों से संबंधित अभिलेख की प्रति	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कॉपिंग रूल्स के अनुसरण में मध्यप्रदेश फायरेंस कोड खण्ड 2 में वर्णित अनुसार शुल्क देय होगा।	कॉलम अनुसार तीन

5	केरोसीन, डीजल पेट्रोल नेफथा, रेफीनेट, स्लाप एवं सालवेंट के लायसेंसों की मूल प्रति के स्थान पर डुप्लीकेट प्रति।	संबंधित आवश्यक वस्तु के लिये प्रभावशील अनुज्ञापन आदेश के प्रावधानों के अनुसार डीजल पेट्रोल, नेथा, सॉलवेंट, रेफीनेट, स्लाप केरोसीन—थोक / अर्ध थोक —एक वर्ष —दो वर्ष —तीन वर्ष केरोसीन—फुटकर —एक वर्ष —दो वर्ष —तीन वर्ष	1000/- 1000/- 500/- 500/- 500/- 500/- 30/- 55/- 80/- 05/- 10/- 15/- 2. प्रतिलिपि क्र. 4 अनुसार
6	मध्य प्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979	अनुज्ञाप्ति / नवीनीकरण शुल्क रूपये में	कालम 3 अनुसार
थोक विक्रेता		एक वर्ष	दो वर्ष
		30	55
आंशिक थोक विक्रेता		30	55
फुटकर विक्रेता		05	10
7	राशनकार्डधारी को राशन कार्ड की डुप्लीकेट प्रतियां	प्रति कार्ड	5/-

2.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय गठन के उद्देश्य

(अ) जिले में आवश्यक वस्तुएं साम्यपूर्ण रीति से उचित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करना एवं इनकी उपलब्धता बनाये रखने के लिए विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन करना ।

(ब) अत्यावश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्नों का उपार्जन, संग्रहण एवं वितरण करने में संबंधित एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना ।

2.2 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय का मिशन / विजन ।

जिले के चिन्हित उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की शासन द्वारा नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं की सुलभता हेतु निर्धारित दर पर प्रदाय कर राहत प्रदान करने की कार्यवाही करना एवं सामान्य उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने की कार्यवाही करना ।

2.3 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित दर पर उपलब्धता, समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी वस्तुओं का भण्डारण, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण हेतु सागर जिले में जिला खाद्य कार्यालय का गठन किया गया । सागर संभागीय मुख्यालय होने के कारण जिले में खाद्य नियंत्रक का पद तथा बाद में पद नाम परिवर्तित होने पर वर्ष 2002 से जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय नामित हुआ । वस्तुतः यह जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय कलेक्टर कार्यालय की एक शाखा के रूप में कार्यरत है ।

2.4 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के कर्त्तव्य ।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के कार्य एवं दायित्व :—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर वितरण हेतु उपलब्ध कराने की कार्यवाही करना ।
2. शासन से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न आवंटनों का अनुभागवार विभाजन जारी करना एवं भोपाल शहर में प्रचलित उचित मूल्य दुकानों के लिये समानुपातिक रूप से पुनरावंटन जारी करना ।
3. समान खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बीपीएल, अन्त्योदय एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी उपभोक्ताओं के राशनकार्ड जारी करना ।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन कराना ।
5. भारत शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं धान, ज्वार, मक्का, तथा बाजरा एवं शासन द्वारा घोषित अन्य वस्तुओं के उपार्जन एवं कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उपार्जन से जुड़ी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना ।
6. विभाग द्वारा शासन के नियम अनुसार विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य ।

दायित्व

1. उचित मूल्य दुकानों से वितरण हेतु खाद्यान्न आवंटन की प्राप्ति एवं उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर वितरण कराना, जिसमें राष्ट्रिंग सम्मिलित है।
2. कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकान का निर्धारण करने के उपरांत उचित मूल्य दुकानों का आवंटन उप पंजीयक सहकारिता की सहमति से करना।
3. पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एल.पी.जी., नाफ्था तथा सालवेन्ट की बिकी और वितरण पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना।
4. जिले के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता की ओर से वाद दायर करना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं को जागरूक करना।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबद्ध एजेंसियों, संस्थाओं, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

2.5 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के मुख्य कृत्य

जिला आपूर्ति नियंत्रक की मुख्य गतिविधियाँ (कृत्य) निम्नानुसार हैं :—

1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सुचारू संचालन।
2. संचालनालय से प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन का पुनरावंटन।
3. केरोसीन, डीजल पेट्रोल, नाथा, साल्वेट, रेफिनेट, स्लाप के लायरेंस जारी करने तथा अनुज्ञाप्ति की शर्तों का पालन करवाना तथा अनियमितताएं होने पर उन्हें दण्डित कराना।
4. उचित मूल्य दुकानों का आवंटन, जांच एवं अनियमितता होने पर दण्डित कराना।
5. हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशनकार्डों का प्रदाय।
6. छात्रावासों, मदरसों एवं आश्रमों को राशन कार्ड जारी कराने एवं उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
7. पेट्रोलियम पदार्थों की वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
8. समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की उपार्जन व्यवस्था से संबद्ध एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पेट्रोलियम पदार्थों की वितरण व्यवस्था से संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
10. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 अ के अंतर्गत जप्त सामग्री का निराकरण कलेक्टर न्यायालय से कराना तथा न्यायालय द्वारा राजसात की गयी वस्तुओं को बाजार दर से विक्रय कराकर वसूली करना।
11. अन्य कृत्य जो समय-समय पर कलेक्टर/संचालनालय द्वारा सौंपे जाएं।

2.6 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली सेवा का स्वरूप।

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, संचालनालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि को वितरण केन्द्रों तक पहुंचाकर, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना।
2. भारतीय खाद्य निगम, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के डिपो से लीड संस्था के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों पर यथा प्राप्त गुणवत्ता का उचित मूल्य पर प्रदाय कराने का प्रयास।

3. “अन्तर्दूत” तथा “तेलदूत” योजनांतर्गत भोपाल जिले में उचित मूल्य दुकान एवं अन्य फुटकर विक्रेताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल का सीधा प्रदाय कराना।
4. शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर चलित वाहनों के माध्यम से, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य अंचलों एवं दुर्गम स्थानों में आयोजित होने वाले हाटबाजारों में आम नागरिकों को खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने का प्रयास।
5. शासन द्वारा घोषित मूल्यों पर किसानों से सीधे समर्थन मूल्य पर गेहूं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की खरीदी तथा उन्हें तत्काल भुगतान की व्यवस्था की देख-रेख।
6. प्रचलित नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों एवं उत्पादकों पर नियंत्रण।
7. पेट्रोल / डीजल / मिट्टी तेल / रसोई गैस की गुणवत्ता एवं व्यापार पर नियंत्रण।
- 8.उपभोक्ता के हितों का संरक्षण।

2.7 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)

- जिला स्तर पर जिला आपूर्ति नियंत्रक
- अनुभाग स्तर पर सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

स्वीकृत पद—

जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल के अंतर्गत वर्तमान में स्वीकृति पदों की स्थिति:-

1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	1
2	सहायक आपूर्ति अधिकारी	4
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	15
4	लेखापाल	1
5	सहायक ग्रेड 2	2
6	सहायक ग्रेड 3	2
7	स्टेनोटाइपिस्ट	1
8	वाहन चालक	0
9	भृत्य	3

2.8 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं।

1. विषयन (Diversion) पर निगाह।
2. अपात्र व्यक्तियों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने से रोकने में सहयोग करना।
3. खाद्यान्न सुरक्षा, वितरण एवं गुणवत्ता के संबंध में जनजाग्रति लाना।
4. सुधारात्मक / सकारात्मक जन-सुझावों की अपेक्षा।
5. कर्तव्य एवं निर्देशों के पालन में जनसहयोग।
6. दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में मददकरना।
7. गठित निगरानी समितियों को सक्रिय करना तथा समय-समय पर उनकी मीटिंग बुलाकर समस्याओं का निराकरण करना।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तरों पर निगरानी समितियां गठित हैं जिनमें अशासकीय सदस्य व जनप्रतिनिधि भी सदस्य हैं—

1. जिला स्तरीय निगरानी समिति ।
2. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति ।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं प्राकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-

प्रचलित निर्देशों/नियंत्रण आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारियों द्वारा जनसमस्याओं के निरीक्षण करने/करवाने एवं अनुश्रवण की व्यवस्था निर्धारित हैं। शासन द्वारा विकासखण्ड स्तरीय एवं ग्रामीण स्तरीय जनसमस्या के निवारण शिविर के आयोजन की व्यवस्था की गई है जिसमें विभागीय अधिकारी इस जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उपस्थित रहते हैं।

जिला स्तर पर,, विकासखण्ड स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण निगरानी समितियां भी गठित हैं।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते—

मुख्य कार्यालय — कार्यालय कलेक्टर,, (खाद्य शाखा) जिला— सागर ।

तहसील स्तर — अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, सागर, खुरई, रहली, बंडा, बीना, देवरी

2.12 कार्यालय के खुलने का समयः— प्रातः 10.30 बजे

कार्यालय के बन्द होने का समयः— सायं 5.30 बजे

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण

जिला आपूर्ति नियंत्रक, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की बेबसाईट www.dirfood@mpnic.in पर उपलब्ध है।

पद का नाम	लेखापाल, जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर	
शक्तियां	प्रशासकीय	निरंक
	वित्तीय	निरंक
	अन्य	निरंक
कर्तव्य	<p>प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थापना में वित्त शाखा संबंधी कार्य एक ही शाखा में समाविष्ट करते हुए स्थापना अथवा वित्त शाखा के रूप में दर्शाया जाता है। मूल रूप से स्थापना से संबंधित कार्य भी वित्त कार्य में सम्मिलित है। ये दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यालय के समस्त वित्त कार्य लेखापाल द्वारा किये जाते हैं जिसके अनुसार कर्मचारी का वेतन, यात्रा भत्ते आदि संबंधी बिलों को तैयार करना, प्रस्तुत बिलों की जांच करना, पेंशन उपादान संबंधी मामले एवं व्यय के वार्षिक बजट तैयार करना, आकस्मिक व्यय के लेखे रखे जाना, शाखा में प्राप्त तथा भुगतान की गयी सभी नगद राशियों की व्यवस्था करना, कैशबुक एवं चेक पंजी का संधारण, आदि कार्य किये जाते हैं।</p>	

लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सहायक ग्रेड 2— 3) के अतिरिक्त दायित्व :—

- (1) नस्ती तैयार करना तथा उसे प्रस्तुत करना ।
- (2) प्रकरणों की प्राथमिकता के अनुरूप शीघ्रताक्रम दशार्नेवाले पर्चियों/फलेग का उपयोग ।
- (3) विलम्ब पर रोक ।
- (4) प्रारूप तैयार करना ।
- (5) कार्यालय आदेश फाईल/स्थाई आदेश फाईल/विभागीय आदेश पुस्तिका तैयार करना ।
- (6) स्मरण पत्र प्रेषण ।
- (7) तार, वायरलेस, फैक्स, ई मेल ।
- (8) निपटाये गये प्रकरणों की सूची तैयार करना ।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय सागर में डाक प्राप्त करने वाले स्टाफ के कर्तव्य व दायित्वः—

संबंधित कक्ष के आवक कर्मचारी श्रीमति शोभना सोनी सहायक ग्रेड-3, डाक प्राप्त करना तथा आवक पंजी का संधारण करना। वे डाक बुक में छोटे से हस्ताक्षर (इनीसियल) नहीं करेंगे बल्कि डाक बुक पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे और यदि हस्ताक्षर अपठनीय हो तो अपना पूरा नाम भी डाक बुक में लिखेंगे। साथ ही कक्ष की मोहर हस्ताक्षर/नाम के नीचे लगाएंगे। इससे यह सुस्पष्ट ज्ञात हो सकेगा कि डाक अपने सही स्थान पर लगाई गई और डाक किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त की।

दिन भर की डाक को बंटवाकर ठीक तौर से कर दिये जाने पर हर दिन के डाक को संबंधित कक्ष पंजी में अंकित करते हुये शाखाओं (**Branches**) को उचित रूप से बांटना।

आने वाले लिफाफों को खोलने के बाद उनकी अंतर्वस्तु (**Contents**) का सत्यापन लिफाफे पर लिखे गये पत्र ज्ञान के निर्गम क्रमांक से किया जाना।

डाक की जांच— यदि डाक के साथ संलग्न कागज हो तो इस बात की जांच की जानी चाहिये कि संलग्न कागज सही—सही प्राप्त हुये हैं या नहीं और यदि कोई कागज न पाया जाये तो उसके बारे में समुचित नोट डाक प्राप्त होते ही कर देना।

सह-पत्र (**Enclosures**) के रूप में प्राप्त होने वाले वजनी और महत्वपूर्ण कागज संबंधित को अलग से भेजे जाने चाहिये और उसकी रसीद पत्र ले ली जाना चाहिये।

रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त होने वाले पत्रों के लिफाफे हमेषा पत्रों के साथ पिन लगाकर संबंधित शाखा को भेजना। कार्यालय पर तामील की गई रजिस्टर्ड—नोटिसों के संबंध में खास तौर से इस बात को ध्यान में रखना। ऐसे सभी मामलों में प्राप्ति शाखा को चाहिये कि वह दिनांक की मोहर के नीचे ‘रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त लिफाफा शामिल है’ भी लिख दें। किसी एक रजिस्ट्री लिफाफे में एक से अधिक पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक पत्र पर ‘रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त—क्रमांक’ लिखा जायेगा और लिफाफा रख लिया जायेगा। गुमनाम, बेनाम पत्रों के मामलों में लिफाफों को पत्रों के साथ पिन लगाकर रखा जाना चाहिये और पत्रों पर इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिये कि लिफाफे को इस प्रकार पिन लगाकर रखा गया है।

मोहरबन्द लिफाफे या प्रत्यक्ष रूप से दोहरे लिफाफे में रखे गये पत्र प्राप्ति शाखा में नहीं खोले जाना बल्कि उसी रूप में संबंधित अधिकारियों को भेज दिये जाना चाहिये। यदि किसी लिफाफे को खोलने पर उसकी विषयवस्तु (**Contents**) “गोपनीय” या “गुप्त” की प्रतीत हो, तो प्राप्ति शाखा को उसे लिफाफे के साथ किसी मोहरबन्द या बंद लिफाफे में संबंधित अधिकारी को भेज देना चाहिये।

जावक लिपिक के दायित्व :—

जावक लिपिक द्वारा निम्न पंजियाँ निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाती हैं :—

1. जावक पंजी, 2. स्टाम्प पंजी, 3. तार पंजी, 4. डाकबुक, 5 कांटे—बांट भी रखे जाते हैं
7. सूचना के अधिकारी की पंजी

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- 4.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची—

अभिलेख का नाम. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

अभिलेख का प्रकार .अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

अधिसूचित आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित दर, निर्धारित मात्रा के संबंध में नियम, अनुदेश बनाने की शक्तियां एवं इस प्रकार बनाये गये नियमों के उल्लंघन होने पर दण्ड की शक्तियां ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम..उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

अभिलेख का प्रकार .. अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय —

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के संबंध में नियम

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट पर

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. म.प्र.खाद्य पदार्थ (वितरण नियंत्रण)
आदेश, 1960 .

अभिलेख का प्रकार— आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

खाद्य पदार्थों के समुचित वितरण हेतु स्कीम जारी करना एवं उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी करना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

पर उपलब्ध है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट पर
www.mp.nic.in/mpfood

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. मध्य प्रदेश (खाद्य पदार्थ)
सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम, 1991

अभिलेख का प्रकार .स्कीम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

स्कीम बनाकर शासन द्वारा निर्धारित वस्तुओं के पदाय एवं वितरण पर नियंत्रण ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

उपलब्ध है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट
www.mp.nic.in/mpfood

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम.. मध्य प्रदेश केरोसीन व्यापारी
(अनुज्ञापन) आदेश, 1979

अभिलेख का प्रकार .. आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय —

अनुज्ञाप्ति जारी कर केरोसीन के व्यापार पर नियंत्रण रखना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

पर उपलब्ध है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट पर
www.mp.nic.in/mpfood

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल
(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980

अभिलेख का प्रकार .आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

अनुज्ञाप्ति जारी कर मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल पर नियंत्रण रखना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट पर www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

----"----

अभिलेख का नाम..मध्य प्रदेश चावल उपाप्ति

(उदग्रहण)आदेश, 1970

अभिलेख का प्रकार ..आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –

शासकीय योजनाओं के लिये पूल हेतु चावल का उपार्जन ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट पर www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

----"----

अभिलेख का नाम. म.प्र. नाथा (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)
.आदेश, 2000

अभिलेख का प्रकार— आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

अनुज्ञाप्ति जारी कर नाथा के विक्रय पर नियंत्रण रखना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

----"----

अभिलेख का नाम. म.प्र. विलायक, रेफिनेट और स्लाप
(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण)आदेश, 2000

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

अनुज्ञाप्ति जारी कर विलायक, रेफिनेट और स्लाप पर नियंत्रण रखना ।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट
www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

अभिलेख का प्रकार .आदेश

अभिलेख का नाम.. मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ

(खान पान स्थापना द्वारा मूल्य प्रदर्शन) आदेश, 1983

अभिलेख का प्रकार .. आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय —

खानपान स्थापनाओं पर मूल्य से उपभोक्ताओं को अवगत कराना ।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट पर
www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. मध्य प्रदेश नमक नियंत्रण आदेश, 1963

अभिलेख का प्रकार .आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

नमक के विक्रय पर नियंत्रण रखना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की
प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट

है।

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम.. म.प्र. चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक

वस्तु प्रदाय बनाये रखना आदेश, 1980

अभिलेख का प्रकार .. आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय —

आवश्यक वस्तुओं के पदाय में कदाचार करने वालों को दण्डित कराना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट पर

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम केरोसीन (उपयोग पर पर निर्बन्धन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993

अभिलेख का प्रकार— आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

केरोसीन का मूल्य निर्धारण एवं दुरुपयोग पर निर्बन्धन ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आयल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998

अभिलेख का प्रकार .आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

पेट्रोल एवं डीजल के प्रदाय एवं वितरण में अनाचार का निवारण ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood

पर

उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम.. द्रवित पेट्रोलियम गैस

(प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश, 2000

अभिलेख का प्रकार .. आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –

द्रवित पेट्रोलियम गैस के पदाय और वितरण पर नियंत्रण रखना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट
www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम.. द्रवित पेट्रोलियम गैस
(मोटर यानों में उपयोग का विनियमन)आदेश, 2001

अभिलेख का प्रकार .आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

द्रवित पेट्रोलियम गैस का मोटरयानों में उपयोग पर नियंत्रण ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम.. नाथा (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और
आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000

अभिलेख का प्रकार ..आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय –

नाथा के अर्जन, विक्रय, भण्डारण को अनुज्ञाप्ति जारी कर नियंत्रित करना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood

पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अभिलेख का नाम. विलायक, रैफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग काय निवारण) आदेश 2000 **अभिलेख का प्रकार-** आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

विलायक, रैफिनेट और स्लाप का अर्जन, विक्रय, भण्डारण पर अनुज्ञाप्ति द्वारा नियंत्रण ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन की बेसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

— — — — —

अभिलेख का नाम. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण
प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999

अभिलेख का पकार आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन, भण्डारण, रखरखाव पर नियंत्रण ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बैबसाइट

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शल्क(यदि कोई हो)

— — —

अभिलेख का नाम. मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

अभिलेख का प्रकार आदेश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

पीडित उपभोक्ता की ओर से उपभोक्ता न्यायालय में
उन्हें राहत दिलाने हेतु उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर करना ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासनकीबैबसाडत

www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

नियम विनियम अनदेश निर्देशिका और अभिलेख की प्रति

को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

अभिलेख का नाम. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

अभिलेख का प्रकार : नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय—

उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उपभोक्ता न्यायालयों एवं परिषद का गठन ।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश
शासन की बेबसाइट
www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।

प्रति कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क(यदि कोई हो)

—“—

अध्याय— 5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन—प्रतिनिधि से परामर्श
के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

- 5.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान
नीति निर्धारण संबंधी कार्य शासन स्तर पर किया जाता है जो विभाग की बेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood पर उपलब्ध है।
जनता एवं जन—प्रतिनिधियों के परामर्श हेतु जिला स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

जिला स्तरीय निगरानी / सतर्कता समिति :-

कलेक्टर	अध्यक्ष
महाप्रबन्धक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं	सदस्य
जिला प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति निगम	सदस्य
प्रभारी स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	सदस्य
भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
समस्त लीड समिति प्रबन्धक	सदस्य
समस्त सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
विकासखण्ड स्तरीय समिति के दो मनोनीत सदस्य	सदस्य
जिला आपूर्ति नियंत्रक	सदस्य सचिव.

विकास खण्ड स्तरीय निगरानी समिति :-

अध्यक्ष, जनपद पंचायत	अध्यक्ष
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य

नेहरु युवा केन्द्र के समन्वयक उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र से जुड़े दो प्रतिनिधि जिसमें एक महिला समस्त सहायक आपूर्ति अधिकारी / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
लीड संस्था का सदस्य	सदस्य
कृषि उपज मण्डी का प्रतिनिधि	सदस्य
स्वसहायता समूह का कोई प्रतिनिधि (कलेक्टर के अनुमोदन अनुसार) सदस्य	सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	सदस्य

शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति (ग्रामीण क्षेत्र) :-	
ग्रामपंचायत का सरपंच	अध्यक्ष
लिंक समिति का संचालक	सदस्य
नेहरु युवा केन्द्र का प्रतिनिधि	सदस्य
स्वसहायता समूह की महिला अध्यक्ष	सदस्य
उपभोक्ता 3 (एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय)	सदस्य
वरिष्ठतम प्रधान पाठक, शासकीय शाला	सदस्य
पंचायत सचिव	संयोजक

शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति (शहरी क्षेत्र) :-	
अध्यक्ष –	संबंधित वार्ड का पार्षद
दो सदस्य –	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से होंगे जिन्हें विशेष राशन कार्ड दिये गये हों तथा उसमें एक पुरुष और एक महिला होगी ।
दो सदस्य –	दुकान के अन्य कार्डधारी उपभोक्ता होंगे जिनमें से एक पुरुष और एक महिला होगी ।
दो सदस्य –	क्षेत्र के उपभोक्ता कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ताओं में से होंगे.
एक सदस्य –	कोई शासकीय कर्मचारी हो (संयोजक) ।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श/भागीदारी का प्रावधान/व्यवस्था का विवरण—

1. जिला स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति —इस समिति की बैठक प्रति माह कलेक्टर की अध्यक्षता में बुलाई जाती है जिसमें निगरानी समिति के सदस्यों के सुझाव एवं परामर्श कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।
2. विकास खण्ड स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति — अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में समिति की बैठक प्रतिमाह बुलाई जा रही हैं जिसमें तहसील स्तर की समस्याओं का निराकरण किया जाता है और यदि समस्या जिला स्तर की होती है तो उप समिति अपनी अनुशंसा सहित कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति को भेजती हैं जहां पर उसका निराकरण किया जाता है ।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति — शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की बैठक शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच की अध्यक्षता में की जाता है जिसका निराकरण उनके स्तर पर किया जाता है ।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेज का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेज

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	प्रचलित बीपीएल, अन्त्योदय राशनकार्ड का पंजीयन (केवल भोपाल नगर के लिये)	निर्धारित शुल्क जमा करने पर	जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय सागर
2.	तदैव	आवंटन संबंधी रिकार्ड	तदैव	तदैव

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के कब्जे में अथवा नियंत्रण में रखने वाले दस्तावेज का विवरण

-
- 1. आवक पंजी
- 2. जावक पंजी
- 3. रोकड़ पंजी
- 4. अनाज अग्रिम पंजी
- 5. स्कूटर लोन पंजी
- 6. मकान लोन पंजी
- 7. डाक टिकट विषय पंजी
- 8. सामान्य भविष्य निधि पंजी
- 9. विभागीय भविष्य निधि पंजी
- 10. आयकर कटौत्रे हेतु कर्मचारियों के वेतन की पंजी
- 11. यात्रा देयक पंजी
- 12. चिकित्सा देयक पंजी
- 13. परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना, समूह सह बीमा योजना पंजी
- 14. उपस्थिति पंजी
- 15. बिल पंजी

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण –

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत बोर्ड, परिषद, समितियां कार्यरत नहीं हैं।

8.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट आथोरिटी की जानकारी—

लोक प्राधिकरण का नाम :— जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर

लोक सूचना अधिकारी—

क्र. सं.	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	जिला आपूर्ति नियंत्रक	07582	223594	229621			कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, सागर

लोक सहायक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	सहायक आपूर्ति अधिकारी (मुख्यालय में पदस्थ)	07582	223594				कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, सागर

विभागीय अपीलेट आथोरिट

क्र. सं.	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0 मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
	कलेक्टर सागर	07582	222070	222622	222070		जिला खाद्य कार्यालय सागर

निर्णय लेने की प्रक्रिया

जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण—

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?**
शासन द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही की जाती है।
- 9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है?**
प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण स्कीम, 1991 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, समक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तथा इसी प्रक्रिया तहत तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।
- 9.3 लिये गये निर्णय को जनता को पहुंचाने के लिए प्रक्रिया**
नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति के चाहने पर भी उसे जानकारी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। जनहित की जानकारी का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को दी जाती है।
- 9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों को संस्तुती निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?**
संस्तुति आवश्यक नहीं। निर्णय गुण दोषों के आधार पर किये जाते हैं।
- 9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी।**
अंतिम निर्णय लेने के लिए कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी प्राधिकृत हैं।
- 9.6 मुख्य विषय जिस पर जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण—**

क्र०सं० – 1	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रकरण।
दिशा— निर्देश (यदि हो तो)	मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उभय पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अनुविभागीय अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	—“—
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जिले के कलेक्टर को 30 दिवस में।

क्र०सं० – 2	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	जप्त सामग्रियों का निराकरण/ अधिहरण करना।
दिशा— निर्देश (यदि हो तो)	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6—अ
निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त

	अवसर देना
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	—“—
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अनुज्ञानि संबंधी अपीलें संभागायुक्त को 30 दिवस में की जा सकती हैं ।

कं0सं0 – 3	
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।	डीजल, पेट्रोल, केरोसीन, नाथा, सॉलर्वेट, रेफिनेट व रॉलॉप के लायरेंसों का निलंबन / निरस्तीकरण ।
दिशा— निर्देष (यदि हो तो)	संबंधित आवश्यक वस्तु का लायरेंसिंग आदेश
निर्णय लेने की प्रक्रिया	प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	डीजल, पेट्रोल के काम लेने वाली कंपनी की राय
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	संभाग के आयुक्त को अनुज्ञाप्तियां निलंबित / निरस्त करने पर तथा जप्त सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 अ के प्रावधानों के तहत राजसात करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय को निर्धारित अवधि 30 दिवस में अपील की जा सकती है ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपदवार दें

क्र.	नाम	पदनाम	पता	दूरभाष क्रमांक	
				कार्यालय	निवास
1	2	3	4	5	6
1	श्री आई०के०भलावी	जिला आपूर्ति नियंत्रक	कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर ।	223594	—
2	श्री एस०सी०जैन	सहायक आपूर्ति अधिकारी, जैसीनगर	तदैव	—	—
3	श्री राममिलन सिंह	सहायक आपूर्ति अधिकारी, सागर	तदैव	—	—
4	श्री जी०पी०लोधी	सहायक आपूर्ति अधिकारी, रहली	तदैव	—	—
5	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	सहायक आपूर्ति अधिकारी, खुर्रई	तदैव	—	—
6	श्री डी०पी०श्रीवास्तव	सहायक आपूर्ति अधिकारी, सागर नगर	तदैव	—	—
7	श्री आर०पी०गुप्ता	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खुर्रई	तदैव	—	—
8	श्री एस०ब्ही०जैन	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, देवरी	तदैव	—	—
9	श्री संजीव अग्रवाल	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बड़ा	तदैव	—	—
10	श्री एल०पी०पांड्ये	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सागर नगर	तदैव	—	—
11	श्री के०एल० सोनी	लेखापाल	तदैव	—	—
12	श्री जे०पी०परेता	सहायक ग्रेड-2	तदैव	—	—
13	श्री पी०एल०लड़िया	सहायक ग्रेड-2	तदैव	—	—
14	श्री अशोक सेन	सहायक ग्रेड-2	तदैव	—	—
15	श्री एस०पी०लड़िया	सहायक ग्रेड-3	तदैव	—	—
16	श्रीमति शोभना सोनी	सहायक ग्रेड-3	तदैव	—	—
17	श्रीमति सरिता सिंह	स्टेनो टाइपिस्ट	तदैव	—	—
18	श्री अनुवेद श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड-3	कार्यालय कलेक्टर, भोपाल	—	—
19	श्री बाबूलाल पटेल	भृत्य	तदैव	—	—
20	श्री लक्ष्मीनारायण रजक	भृत्य	तदैव	—	—
21	श्री परम लाल पटेल	भृत्य	तदैव	—	—

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दें

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	भत्तों का विवरण	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
	प्रथम श्रेणी				
	जिला आपूर्ति नियंत्रक	10000-325-15200	DA 55% CCARs180	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	तृतीय श्रेणी				
	सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी	4500-125-7000	DA 55% CCA 100/- CA100/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	4000-100-6000	DA 55% CCA 100/- CA100/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	लेखापाल	4500-125-7000	DA 55% CCA 100/- CA80/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	सहायक प्रथम वर्ग	4000-100-6000	DA 55% CCA 100/- CA80/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	सहायक द्वितीय वर्ग	3050-75-3950-80-4590	DA 55% CCA 65/- CA 50/-	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	सहायक द्वितीय वर्ग / टायपिस्ट	3050-75-3950-80-4590	DA 55% CCA 65/- CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	बाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	DA 55% CCA 65/- CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	
	चतुर्थ श्रेणी				
	भूत्य	2550-55--2660-60-3200	DA 55% CCA 65/- CA 50/- HRA 8%	वेतन निर्धारण की नियमावली अनुसार	

12.1. जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट की सूचना, जिसमें सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में है:-

विभाग के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कुल दो योजनाएँ प्रचलित हैं:-

1. योजना क्रमांक (6243)– दुकान–सह–गोदाम का निर्माण

योजना क्रमांक (6243)–गोडाउन ग्रिड निर्माण योजना हेतु है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं खाद्यान्नों की सुरक्षा हेतु अत्यन्त उपयोगी है। जहाँ तक खाद्यान्नों की सुरक्षा योजनांतर्गत 50 मेटिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराये जाते हैं इससे जहाँ एक ओर खाद्यान्नों की सुरक्षा एवं भण्डारण क्षमता बढ़ती है वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार/उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस से प्रदेष के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को सुगमता पूर्वक उचित दर एवं अधिक गुणवत्ता की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाना संभव होती है एवं खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी भी सुनिष्ठित होती है। उक्त मद में राशि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर की मांग पर राज्य योजना मंडल की अनुमति उपरांत वित्त विभाग से प्राप्त होता है :-

वर्ष 2004–05

क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किस्तों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करावाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
1	योजना क्रमांक (6243)–गोडाउन ग्रिड निर्माण	50 मेटिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम का निर्माण	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से (माह अप्रैल)	वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च तक)	1.00 lakh	1.00 lakh	दो	1.00 lakh	जिला आपूर्ति नियंत्रक

योजना क्रमांक (6242)–सहकारी समितियों को मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण:-

योजना क्रमांक (6242)–सहकारी समितियों को मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण कराया जाता है। इस व्यवस्था से प्रदेष में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सुगमता से उचित मूल्य पर मिट्टीतेल का तेल उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2004–05

क्र0स0	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	संचालनालय द्वारा प्रदत्त किस्तों में	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करावाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी
	योजना क्र. 6242	समितियों को टंकी/झम का निर्माण मिट्टी तेल संग्रहण हेतु टंकी/झम का क्र	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से (माह अप्रैल)	वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च तक)	2 लाख	2 लाख	—	0	जिला आपूर्ति नियंत्रक

दोनों योजनाओं के अंतर्गत जिलों को प्रदाय आवंटन एवं व्यय की जानकारी का पत्रक

क्र.	जिला	<u>योजना क्रमांक 6242</u>		<u>योजना क्रमांक 6243</u>	
		आंबटन	व्यय	आंबटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	सागर	2 लाख	0	1 लाख	0
	योग	2 लाख	0	1 लाख	0

वर्ष 2005–06 में माह अप्रैल 2005 से अगस्त 2005 तक प्राप्त आंबटन/व्यय स्थिति निम्नानुसार है। :-

क्रमांक	मद	आंबटन	व्यय	शेष
1	001 वेतन भत्ते	1010000	64559	315441
2	003 मंहगाई भत्ता	525000	373245	151755
3	006 मकान किराया	31000	19627	11373
4	008 अन्य भत्ते	5000	2340	2660
5	009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15000	10309	4691
6	011 ट्यौहार अंगीम	2000	0	2000
7	016 अनाज अग्रिम	6000	4000	2000
8	001 यात्रा भत्ता दौरे पर	15000	3875	11125
9	002 यात्रा भत्ता स्थानांतरण पर	2000	0	2000
10	001 डाक तार व्यय	5000	3000	2000
11	002 दूरभाश व्यय	18000	8011	9989
12	003 फर्नीचर उपकरण	2000	0	2000
13	004 पुस्तकें पत्रिकायें	2000	0	2000
14	005 बिजली एवं जल प्रपात	10000	0	10000
15	006 वादियां	4000	0	4000
16	007 लेखन समाग्री	20000	18306	1694
17	008 अन्य आकस्मिक व्यय	2000	1922	78
18	009 पेट्रोल तेल आदि	20000	0	20000
19	006 सफाई व्यवस्था	2000	0	2000
20	002 परामर्श सेवायें	31000	6425	24575
21	003 वाहन मरम्मत	15000	0	15000
22	अन्य प्रभार	14000	3974	10026
23	6242 टंकी निर्माण	200000	0	200000
24	6243 गोदाम निर्माण	100000	0	100000
25	173 अन्य का क्रय	18000000	18000000	0

जिले में पहुँचविहीन क्षेत्रों में परिवहन परिव्यय मद के अंतर्गत राशि 18000000/- (एक करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र) का आंबटन प्राप्त हुआ था, जिसे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सागर को चेक के माध्यम से प्रदाय कराया गया है। जिसकी सूचना आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल को पत्र क्रमांक 663/खाद्य/05 दिनांक 17.5.05 के द्वारा भेजी गई है।

अनुदान, राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति व्यवस्था— उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि वस्तुएं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' दिनांक 01.06.1997 से क्रियाशील है।

खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन प्रदाय एवं वितरण व्यवस्था— जिले में भारतीय खाद्य निगम का एक बेस डिपो स्थापित हैं जहां से खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। राज्य शासन की एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा खाद्यान्न बेस डिपो से एवं शक्कर कारखानों से शक्कर उठाकर अपने प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से 18 लीड एवं 762 लिंक समितियों को उपलब्ध कराता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले को संचालनालय से प्रतिमाह गेहूं/चावल/शक्कर/मिट्टी तेल का आवंटन प्राप्त होता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल एवं बीपीएल योजना में खाद्यान्न के प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। यह कार्य जिले में 2 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। योजनांतर्गत खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन किया जाकर जिले में संचालित राज्य/केन्द्रीय के गोदामों में संग्रहित कराया जाता है जहां से लीड सहकारी संस्थाएं एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदार खाद्यान्न एवं शक्कर का उठाव कार्य करते हैं। प्रदाय केन्द्रों से निर्धारित दर पर लीड व लिंक सोसायटीज को एक्स गोदाम दर पर शक्कर प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

केरोसीन— उपभोक्ताओं को केरोसीन की सरल और सुगम उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केरोसीन के थोक विक्रेता अपने टैकर्स से शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सीधे केरोसीन उपलब्ध कराते हैं। यह योजना सागर जिले में अगस्त, 1993 से प्रभावशील है।

शासकीय उचित मूल्य दुकानें— सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 01.03.1992 से उचित मूल्य दुकानों का सहकारीकरण किया गया है। जिले में 762 दुकानें संचालित हैं जिनमें से 119 शहरी क्षेत्रों में तथा 643 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी दुकानों का संचालन पंजीकृत उपभोक्ता भंडारों/सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

पेट्रोलियम पदार्थ— जिले में पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 38 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों तथा 14 एलपीजी डीलर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है।

खाद्यान्न उपार्जन— जिले में गेहूं की खरीदी भारतीय खाद्य निगम एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय जिला स्तर पर इस हेतु समन्वय का कार्य करता है।

दुकान—सह—गोदाम का निर्माण योजना क्रमांक (6243)—गोडाउन ग्रिड निर्माण योजना हेतु है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं खाद्यान्नों की सुरक्षा हेतु अत्यन्त उपयोगी है। जहाँ तक खाद्यान्नों की सुरक्षा योजनांतर्गत 50 मेटिक टन क्षमता की दुकान सह गोदाम निर्माण कराये जाते हैं इससे जहाँ एक ओर खाद्यान्नों की सुरक्षा एवं भण्डारण क्षमता बढ़ती है वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार/उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस से प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को सुगमता पूर्वक उचित दर एवं अधिक गुणवत्ता की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाना संभव होती है एवं खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित होती है। उक्त मद में राशि का आवंटन संबंधित जिला कलेक्टर की मांग पर राज्य योजना मंडल की अनुमति उपरांत वित्त विभाग से प्राप्त होता है।

दुकान—सह—गोदाम का निर्माण एवं सहकारी समितियों के लिये मिट्टी संग्रहण हेतु टंकी/डम का निर्माण—

योजना क्रमांक (6242)—सहकारी समितियों को मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में मिट्टीतेल संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण कराया जाता है। इस व्यवस्था से प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सुगमता से उचित मूल्य पर मिट्टीतेल का तेल उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय— 14

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत कलेक्टर भोपाल द्वारा नियमानुसार निम्न अनुज्ञाप्तियां जारी की जाती हैं।

1. पेट्रोल एवं डीजल व्यापार अनुज्ञाप्ति।
2. केरोसीन व्यापार अनुज्ञाप्ति।
3. नाथा व्यापार अनुज्ञाप्ति।
4. सॉल्वेंट, रेफिनेट व स्लॉप व्यापार अनुज्ञाप्ति।
5. सहकारी समितियों/उपभोक्ता भण्डारों को उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र —
(इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के तहत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए दुकान आवंटन आदेश (अधिभार पत्र) जिला मुख्यालय पर जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा अनुविभाग के स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किए जाते हैं तथा दुकान के संचालन के लिए अनुबंध सहकारी समिति/उपभोक्ता भंडार के साथ शासन के प्रतिनिधि की ओर से कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है।)

कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक/नियम

कर्तव्य के निर्वाहन हेतु स्थापित मानक

(अ) जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर

1. जिले को प्राप्त आवंटन माह के प्रथम सप्ताह में पुनरावंटित कर प्रचलित निर्देशानुसार जारी करना एवं तत्समय निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार उठाव व वितरण कराना।
2. माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न उठाव।
3. मिट्टी का तेल माह की 10 तारीख तक 60 प्रतिशत 17 तारीख तक 85 प्रतिशत एवं 25 तारीख तक 100 प्रतिशत उठाव कराया जाना।
4. निर्धारित अवधि में संचालनालय को जानकारी भेजना।
5. जिला निगरानी समिति, विकासखण्ड स्तरीय व उचित मूल्य स्तरीय बैठकें मासिक रूप से कराना।

(ब) अनुविभाग स्तर हेतु

1. प्रभार के अनुज्ञप्तिधारियों/शा.उ.मूदू का दो माह में एक बार निरीक्षण हो जावे, ऐसी व्यवस्था निर्धारित करना।
2. मासिक डायरी प्रतिमाह 7 तारीख तक पेश करना।

15.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा अपने विभिन्न कियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें

2- जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, सागर

1. जिले को प्राप्त आवंटन माह के प्रथम सप्ताह में पुनरावंटित कर प्रचलित निर्देशानुसार जारी करना एवं तत्समय निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार उठाव व वितरण कराना।
2. माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न उठाव।
3. मिट्टी का तेल माह की 10 तारीख तक 50 प्रतिशत 17 तारीख तक 85 प्रतिशत एवं 25 तारीख तक 100 प्रतिशत उठाव कराया जाना।
4. निर्धारित अवधि में संचालनालय को जानकारी भेजना।
5. जिला निगरानी समिति, विकासखण्ड स्तरीय व उचित मूल्य स्तरीय बैठकें मासिक रूप से कराना।

2-I. सा.वि.प्र. की उचित मूल्य दुकानों के लिए

आवेदन के माह से 3 माह पूर्व तक की जानकारी हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन उपरान्त जानकारी की समय सीमा—(स्कंध पंजी, वितरण पंजी, यूनिट पंजी) ।

1. सोसायटी स्तर से	15 दिवस
2. बैंक शाखा प्रबंधक	30 दिवस
3. सहकारी उपभोक्ता भण्डार	07 कार्यकारी दिवस

2-II. अनुज्ञाप्ति स्वीकृति हेतु

1. अनुज्ञापन प्राधिकारी/ कलेक्टर को आवेदन उपरांत 30 दिनों में स्वीकृत ।
2. यदि आवेदक अपात्र है तो 30 दिनों में सकारण आदेष पारित करेंगे एवं आवेदक को 40 दिनों में लिखित सूचित करेगा ।
3. 40 दिनों के भीतर आवेदक को लिखित में नामजूर सूचना प्राप्त न होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी/ कलेक्टर को पुनः स्मरण करावेगा एवं कलेक्टर को सूचना देकर अनुज्ञाप्तिधारी की हैसियत से कारोबार कर सकेगा ।

2-III. अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण

1. आवेदन प्राप्त होते ही कलेक्टर द्वारा नवीनीकरण कर दी जावेगी ।
2. आवेदन प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर नवीनीकरण न करने संबंधी लिखित में सकारण आदेष पारित करेगा ।
3. आवेदन प्रस्तुति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अनुज्ञाप्तिधारी को नवीनीकरण न करने के संबंध में लिखित में संसूचित करेगा ।
4. आवेदक के आवेदन पर उपर्युक्त कार्यवाही के अभाव में अनुज्ञाप्ति स्वीकृत मानी जावेगी ।

प्रारूप 'क' (खण्ड 5 देखिये)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण)

आदेश 1980 के अधीन

अनुज्ञाप्ति की मन्जूरी / नवीनीकरण के लिये आवेदन

श्रीमान कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी,

1. जिसके लिये अनुज्ञाप्ति अपेक्षित है उसका नाम.....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में
3. पिता/पति का नाम
4. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता
5. क्या फर्म एक मात्र स्वत्वधारी संस्थान है या भागीदारी फर्म है या नियमित कम्पनी है । कृपया यह भी बताइये कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत नहीं है
6. स्वत्वाधारी का नाम तथा पता/भागीदारी के नाम तथा पते
-
7. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहां कारोबार सम्पादित किया जाना है
-
8. आयल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते
-
9. आयल का नाम जिसके लिये अनुज्ञाप्ति अपेक्षित है जैसे मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड या हाई डीजल या दो
10. आवेदक कितने समय से आयल का व्यापार कर रहा है
-
11. आयल की मात्रा जिसका गत वर्ष के दौरान व्यापार किया गया
-
12. आयल का कारबार करने के लिये नगर पालिका का अनुज्ञाप्ति का कमाक यदि कोई हो
-

13. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में आयल की मात्रा
14. मद 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को छोड़कर फर्म द्वारा पेट्रोलियम नियमों के अधीन धारित अनुज्ञप्ति की, यदि कोई हो विशिष्टियां ।
15. फुटकर निकासी के मामले में कृपया उस आयल कम्पनी का नाम बताइये जिसका कि फर्म –1 अनुमोदित व्यापारी है और नियुक्ति पत्र की अभिप्राणित प्रति भी संलग्न कीजिये ।
16. क्या आवेदक का फर्म का कोई भागीदार या निदेशक या पदाधिकारी या फर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम या 1955 या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिये पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया है। यदि हां तो कृपया संक्षेप में उसकी विशिष्टियों तथा उसको अधिनिर्मित किये गये दण्डादेश का वर्णन किजिये ।
17. क्या फर्म के विरुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अपराध के लिये कोई मामला लंबित है तो संक्षेप में उसकी विशिष्टियों तथा वर्तमान स्थिति बताइये ।
18. क्या आवेदक या फर्म का अन्य कोई भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम/पेट्रोल डीजल पम्प का कारोबार चला रहा है या क्या वह ऐसी किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है। यदि हां, तो कृपया विवरण दिजिये ।
19. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
केन्द्रीय विक्रय कर
स्थानीय विक्रय कर
मैं/हम घोषण करता हूं/करते हैं कि उपर विनिर्दिष्ट की गई आयल की मात्रा आज मेरे कब्जे में है और उपर अंकित स्थानों पर रखी है ।
- मैं/हमने मध्यप्रदेश मोटर स्प्रीरिट तथा हाई स्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 से संलग्न प्रारूप –ख में अनुज्ञप्ति की शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ा है । और मैं/हम उनका पालन करने के लिये सहमत हूं/हैं।
- मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।
- मैं/हम अनुज्ञप्ति क्रमांक..... तारीख..... के जो कि मुझे/हमें तारीख
.....को जारी की गई नवीनीकरण के लिये, एतद द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं।
चालान क्रमांक दिनांक रूपये बैंक का नाम
-
जमा प्रतिभूति/अमानत राशि रसीद नम्बर दिनांक
स्थान.....
तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

**मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण)
आदेश 1980 के अधीन आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिये संग्रहण हेतु
अनुज्ञप्ति जारी करने बाबत आवश्यक दस्तावेज/शुल्क संबंधी जानकारी :-**

1. निर्धारित प्रारूप “क” पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. कम्पनी से अनुबंध की प्रति – नियुक्ति पत्र की प्रति जो कलेक्टर को संबोधित हो एवं अनुमति दिये जाने की अनुशंसा हो ।
3. विस्फोटक नियंत्रक की भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
4. भूमि के मालिकाना स्वरूप एवं डायर्सन संबंधी दस्तावेज
5. जिला दण्डाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एनओसी में दी गयी शर्तों का पालन ।
6. नक्शा– दो प्रति में ।
7. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान ।
8. निर्धारित प्रतिभूति राशि “राष्ट्रीय बचत पत्र” द्वारा ।

प्रारूप—‘ख’ (खण्ड-6 देखिये)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन आयल के क्यविक्य तथा विक्य के लिये संग्रहण हेतु अनुज्ञाप्ति—————

अनुज्ञाप्ति क्रमांक

जारी करने की तारीख.....

अनुज्ञाप्ति फीसरूपये चुकाई गई।

1. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञाप्ति के निर्बद्धानों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये श्री (अनुज्ञाप्तिधारी का नाम) व्यापारी के रूप में आयल का क्य करने, विक्य करने या विक्य के लिये संग्रहण करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है / किये जाते हैं।

2. (क) अनुज्ञाप्तिधारी पूर्वोत्त कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा,

(ख) अनुज्ञाप्तिधारी विक्य के लिये आयल का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर करेगा,...

टिप्पणी— यदि अनुज्ञाप्तिधारी उपर ,विनिर्दिष्ट किये गये स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान में आयल का संग्रह करता है तो वह ऐसे संग्रहण के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा और ऐसी जानकारी के साथ अनुज्ञापित को भी उसने आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिये पेश करेगा ।

3 (एक) अनुज्ञाप्तिधारी , उस दशा में सिवाय जब कि राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट: छूट दे दी गई हो , निम्नलिखित प्रारूप में स्टाक तथा विक्य रजिस्टर रखेगा ...

स्टाक तथा विक्य रजिस्टर

तारीख	आरम्भिक स्टाक	प्राप्ति	योग	विक्य	अतिशेष बुक स्टाक	अंतिम मीटर वाचन	अंतिम तल वाचन (डीपरीडिंग) (सेन्टीमीटर / लीटर)	कालम (7) तथा (8) के बीच का अन्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(दो) अनुज्ञाप्तिधारी प्रत्येक दिन के लिये अपने लेखे संव्यवहार की तारीख से दो दिन (अवकाश दिन छोड़कर) के भीतर पूर्ण करेगा जब तक कि वह युक्तियुक्त कारण से निर्वारित न किया गया हो, जिसे साबित करने भार उस पर होगा।

4. अनुज्ञाप्तिधारी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश, 1980 के उपलब्धों का उल्लंघन नहीं करेगा ।
5. अनुज्ञाप्तिधारी पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपलब्धों में से किसी भी उपबंध नहीं करेगा ।

6. अनुज्ञाप्तिधारी—(एक) आयल के कस, विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण को अंतर्वर्लित करने वाले किसी भी संव्यवहार में परिकल्पित रीति में शामिल नहीं होगा जिसमें कि बाजार में आयल के प्रदाय की सहज उपलब्धता को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
 (दो) विक्रय के लिये साधारणतः रखे गये आयल को बेचने से रोक नहीं रखेगा।
 (तीन) किसी भी प्रकार का आयल किसी भी स्थान में उस कीमत से जो कि ऐसे स्थान में आयल के विक्रय के लिये विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसके उत्पादक द्वारा किसी बस्ती में आयल के विक्रय के लिये नियत की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर ऐसी बस्ती में आयल नहीं बेचा या बेचने के लिये प्रस्ताव नहीं करेगा।
7. अनुज्ञाप्तिधारी अपने कारबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर अपने काम के घंटे तथा साथ ही दैनिक प्रारम्भिक स्टाक और वह कीमत जिसमें आचल बेचा जायेगा सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करेगा।
8. अनुज्ञाप्तिधारी, उस दशा में के सिवाय जबकि उस राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशिष्टि: छूट दे दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति में एक सही रसीद या बीजक (इनव्हायस) यदि उसके द्वारा ऐसी मांग की जाये जारी करेगा। जिसमें अपने स्वयं का नाम और पता तथा ग्राहक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख, बेचे गसे तेज की मात्रा तथा दर और प्रसारित की गई पूरी कीमत दर्शायी जाएगी और वह प्रतिपर्ण या उसकी दूसरी प्रति को पुस्तक के रूप में रख लेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रहेगा।
- टिप्पणी**
- शर्त 8 (1) (11) – पेट्रोल को लागू नहीं –अधिसूचना क्रमांक 4602–2669–29–2–83 दिनांक 30.7.87 द्वारा संशोधित किया गया है। खरीददार को रसीद देने की शर्त केबल हाई स्पीड डीजल आयल को ही लागू होती है पेट्रोल का लागू नहीं होता। इसलिये पेट्रोल पम्प का अनुज्ञाप्तिधारी मोटर स्प्रीरिट की प्रत्येक बिक्री के लिये रसीद नहीं देता तो इस कारण उसकी अनुज्ञाप्ति का निलंबित करना अवैद्यानिक है। वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य वि. कलेक्टर जिला मंदसौर एवं अन्य ए.आई.आर. 1986 मध्यप्रदेश 1591।
9. अनुज्ञाप्तिधारी, निम्नलिखित प्रारूप में सही मासिक विवरणी एवं उसके व्यापार के संबंध में ऐसी जानकारियां जैसे कि उससे मांगी जाये, अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि आगामी माह की सातवीं तारीख को उसे प्राप्त हो जावे और तेल की खरीदी, विक्री, भण्डारण, बिक्री के लिये और तेल के व्यपन के संबंध में संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्यप्रदेश के प्राधिकृत पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अनुदेशों का पालन करेगा/यथा
- (क) माह के प्रथम दिन तेल का प्रारम्भिक अतिशेष।
 - (ख) माह के दौरान तेल की प्राप्ति।
 - (ग) प्राप्ति का स्थान एवं स्त्रोत।
 - (घ) स्तम्भ (क) एवं (ख) का योग।
 - (ङ) माह के दौरान तेल की कुल बिक्री/प्रदाय।
 - (च) माह के प्रथम दिन बंद अतिशेष।
 - (छ) टिप्पणी यदि कोई हो (इस स्तम्भ में बिक्री हुई परंतु प्रदाय नहीं की गई किसी मात्रा का पूर्ण विवरण उसके कारणों सहित प्रदर्शित किया जा सकता है।

10. अनुज्ञाप्तिधारी ऐसे मोटर आयल के विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय का प्रयत्न नहीं करेगा जो विहित मानकों के अनुरूप न हो या आयल के विक्रय के लिये त्रुटिपूर्ण मापों का पैमानों का उपयोग नहीं करेगा ।
11. अनुज्ञाप्तिधारी, आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिये उसके द्वारा उपयोग में लाए गए किसी दुकान, गोदामों या अन्य स्थान पर अपने स्टाकों तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये तथा परीक्षण के लिये आयल के नमूने लेने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या संचालक द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधायें देगा ।
12. यह अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण के लिये आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी ।
13. यह अनुज्ञाप्ति तारीख तक विधिमान्य रहेगा ।

स्थान.....

तारीख.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

1. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
2. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
3. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
4. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
5. तारीख..... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी

प्रारूप 'ख'

(खण्ड 5 देखिये)

मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के अधीन
केरोसीन का क्रय-विक्रय के लिये संग्रहण के लिये अनुज्ञाप्ति

:: (थोक / आंशिक) थोक / फुटकर कारबार के लिये अनुज्ञाप्ति ::

अनुज्ञाप्ति क्रमांक.....

जारी करने की तारीख

अनुज्ञाप्ति फीस

रूपये का भुगतान किया गया ।

1. मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञाप्ति के निर्बंधनों तथा शर्तों अध्यधीन रहते हुये को (थोक / आंशिक)

थोक / फुटकर विक्रेता के रूप में केरोसीन का क्रय-विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण करने के लिये (नाम)

को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

2. (ब) अनुज्ञाप्तिधारी उपर्युक्त कारबार निम्नलिखित स्थान / स्थानों पर करेगा

(भ) अनुज्ञाप्तिधारी विक्रय के लिये केरोसीन का संग्रह निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा

टिप्पणी

यदि अनुज्ञाप्ति धारी, उपर विनिर्दिष्ट स्थानों से किसी भी स्थान पर केरोसीन का संग्रहण करे तो वह ऐसे संग्रहण की सूचना संग्रहण किये जाने से 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा और अपने अनुज्ञाप्ति में आवश्यक प्रविष्टियां कराने के लिये अपनी अनुज्ञाप्ति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा ।

3. (एक) अनुज्ञाप्तिधारी, उन रिस्ती को छोड़कर जबकि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा:-

स्टाक रजिस्टर (अंक लीटरों में)

तारीख	प्रारम्भिक अतिशेष	(प्राप्ति का स्थाथान तथा स्त्रोत्र दर्शाते हुए , तारीख को प्राप्त केरोसीन की मात्रा)	कालम 2 तथा 3 का योग	स्थानीय ऋण से विक्रय की गई मात्रा	गंतव्य स्थान दर्शाते हुयें अन्य स्थानों को भेजी गई मात्रा	अंतिम अतिशेष	टिप्पणियां यदि कोई हो	व्यापारी / एजेन्ट के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. विक्रय रजिस्टर

तारीख	क्रमांक	केता का नाम	विक्रय की गई मात्रा लीटरों में	प्रभारित कीमत	केता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

(दो) अनुज्ञाप्तिधारी प्रत्येक दिन का अपना लेखा अन्ततोगत्वा अगले दिन संव्यवहार शुरू होने के पूर्व पूरा कर लेगा, जब तक कि ऐसा कर पाने से निवारित होने की कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद न हो और ऐसा कोई कारण था, यह साबित करने का उत्तरदायित्व उस पर ही होगा ।

4. अनुज्ञाप्तिधारी, मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

5. अनुज्ञाप्तिधारी, केरोसीन से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति किसी भी कानून के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

6. अनुज्ञाप्तिधारी— (एक) केरोसीन का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण संबंधी ऐसा कोई भी संव्यवहार सट्टेबाजी की रीति में नहीं करेगा जिससे बाजार में केरोसीना की सहज उपलब्धता तथा पूर्ति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभार पड़े ।

(दो) सामान्यतः विक्रय के लिये रखे गये केरोसीन का विक्रय नहीं रोकेगा ।

(तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या इस संबंध में सशक्त किये गये किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिक्षेत्र में केरोसीन का विक्रय ऐसे परिक्षेत्र में बिक्री के लिये निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर केरोसीन का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिये पेश नहीं करेगा ।

7. अनुज्ञाप्तिधारी केरोसीन के आरभिक स्टाक तथा वह कीमत जिस पर केरोसीन का विक्रय किया जाना है, अपने कारबार के परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रतिदिन देवनागरी में प्रदर्शित करेगा ।

8. (एक) अनुज्ञाप्तिधारी, उस दशा को छोड़कर जबकि राज्य सरकार या संचालक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से छूट दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिती एक सही रसीद या बीजक देगा जिसमें अपना स्वयं का नाम, पता और ग्राहक का नाम, पता और अनुज्ञाप्ति क्रमांक (यदि कोई हो), संव्यहार की तारीख विक्रय की गई मात्रा, प्रभारित दर और कुल कीमत लिखी रहेगी और उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जायेगी ।

9. अनुप्तिधारी प्रत्येक शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित प्रारूप में सही साप्ताहिक विवरणी अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा, जिससे कि वह आगामी सोमवार को उसके पास अवश्य पहुंच जाये और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो केरोसीन का क्रय, विक्रय, विक्रय के लिये संग्रहण तथा उसके व्ययन के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाएः—

- (क) सोमवार को केरोसीन का प्रारभिक अतिशेष ।
- (ख) सप्ताह के दौरान प्राप्त केरोसीन ।
- (ग) प्राप्ति का स्थन तथा स्त्रोत्र ।
- (घ) कालम (क) तथा (ख) का योग ।
- (ङ) सप्ताह के दौरान विक्रय किये गये केरोसीन की कुल मात्रा ।
- (च) शनिवार को अंतिम अतिशेष ।
- (छ) टिप्पणियां, यदि कोई हो (इस कालम में विक्रय की गई किन्तु परिदत्त न की गई मात्रा के ब्यौरे उसके कारणों सहित उपदर्शित किये जाये ।

10. अनुज्ञाप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, या राज्य सरकार या संचालक को, अपनी किसी भी दुकालन, माल गोदाम या अन्य किसी स्थान पर, जिसे केरोसीन के संग्रहण, विक्रय या क्रय के लिये उपायोग में लाया गया है, अपने स्टाक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये तथा परीक्षण के लिये केरोसीन के नमूने लेने हेतु सभी उचित समयों पर समस्त सुविधाये देगा ।

11. नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ यह अनुज्ञाप्ति संलग्न की जावेगी ।

12. यह अनुच्छितारीख तक विधिमान्य होगी ।

स्थान’—

तारीखः—

(अनुज्ञापन अधिकारी)

नवीनीकरण का पृष्ठांकन

- (1)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (2)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (3)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (4)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (5)तारीख तक के लिये नवीकृत की गई अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूसी

(खंड 2 का उपखंड(छ)देखिये)
तेल कम्पनियां

1. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड(विभाग मार्केट यूनिट)
- (4) इण्डो-बर्मा,पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
- (5) भारत पट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
- (6) असम आईल कम्पनी लिमिटेड।

मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के अधीन आयल के क्षय, विक्रय तथा विक्रय के लिये संग्रहण हेतु अनुज्ञाप्ति जारी करने बाबत आवश्यक दस्तावेज/शुल्क संबंधी जानकारी :—

1. निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. कम्पनी से अनुबंध की प्रति – नियुक्ति पत्र की प्रति जो कलेक्टर को संबोधित हो एवं अनुमति दिये जाने की अनुशंसा हो।
3. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञाप्ति
4. भूमि के मालिकाना स्वरूप एवं डायवर्सन संबंधी दस्तावेज
5. जिला दण्डाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उनकी शर्तों का पालन
6. नक्शा- दो प्रति में।
7. निर्धारित अनुज्ञाप्ति शुल्क चालान।
8. निर्धारित प्रतिभूति राशि "राष्ट्रीय बचत पत्र" द्वारा।

केरोसीन वितरण हेतु हाकर कार्ड जारी करने की प्रक्रिया :—

1. जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय को क्षेत्र विशेष में केरोसीन वितरण की आवश्यकता प्रतिपादित होने पर जिला कार्यालय समाचार पत्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा।
2. हाकर कार्ड के लिये आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
3. वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता हो। अथवा उसके पास जीवकोपार्जन का कोई साधन नहीं हो।
4. हाकर कार्ड जारी करते समय आदेश पूर्णतः अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिये जारी किया जावेगा।

परन्तु वर्तमान में जिले में पूर्व से कार्यरत हाकर पर्याप्त संख्या में हैं एवं उपर्युक्त मापदण्डों अनुसार हाकर्स की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण नवीन हाकर कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं।

आवेदन प्रारूप (क)

(विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय भण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अधीन विलायक, रेफिनेट और स्लॉप की अनुज्ञाप्ति जारी करने के लिए) आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

कलेक्टर/राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी

1. आवेदक का नाम.....
2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)
 - 2 (क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राईवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य
 - 2 (ख) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य
3. पता
- 3 (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....
- 3 (ख) भण्डारण स्थल.....
4. निदेशकों (भागीदारों) स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर

क्रम सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
1					
2					
3					

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञाप्ति का व्यौरा:-

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञाप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का व्यौरा:-

6 (क) राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञाप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6 (ख) केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञाप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटकों की अनुज्ञाप्ति के व्यौरे

अनुज्ञाप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

8. भण्डारण का ब्यौरा:-

अवस्थान	टेंक संख्यांक	क्षमता (किलोलीटर में)

9. उस विलायक (रेफिनेट) स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञाप्ति अपेक्षित है, उपयोग

- 1.....
2.....
3.....

10 (क) ऐसे विलायक(रेफिनेट) स्लॉप की मात्रा जिनके लिए निम्नलिखित हेतु अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन किया गया है:-

विलायक	रेफिनेट स्लाप	किलोलीटर में परिणाम

(1) वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए विलायक (रेफिनेट स्लाप अपेक्षित है),
(2) प्रसंस्करण(ब्यौरा दें)

(ड.) खप गई विलायक (रेफिनेट) स्लाप की प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री
(प्रत्येक को पृथक रूप से दिया जाना है)

अंतिम उत्पाद	प्रतिशत
उत्पादक क	प्रतिशत
उत्पादक ख	प्रतिशत
	प्रतिशत प्रतिशत
छीजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपार्ध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक, पूर्ण सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधो के अधीन कार्यवाही के लिए दायी रहूँगा।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विकय, भण्डारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अधीन विलायक, रेफिनेट और स्लाप की अनुज्ञाप्ति जारी करने बाबत आवश्यक दस्तावेज़ / शुल्क संबंधी जानकारी :-

1. निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ
2. नगर निगम भोपाल से स्थापना पंजीकरण
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का पंजीकरण
5. वाणिज्यकर अधिकारी से व्यापार हेतु अनुमत पदार्थ की सूची
5. वाणिज्य कर विभाग का पंजीयन
6. वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से आयात-निर्यात हेतु प्रमाणीकरण
7. रजिस्ट्रार कम्पनीज का पंजीकरण
8. वाणिज्यकर विभाग का स्थायी लेखा संख्या
9. संबंधित कम्पनी की लिखित अनुमति
10. स्थल नक्शा व भूमि संबंधी दस्तावेज
11. निर्धारित अनुज्ञाप्ति शुल्क, एवं प्रतिभूति राशि ।
12. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञाप्ति ।

मध्य प्रदेश नाष्ठा (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 के अधीन नाष्ठा की अनुज्ञाप्ति जारी करने बाबत आवश्यक दस्तावेज़ / शुल्क संबंधी जानकारी :-

1. निर्धारित प्रारूप "क" पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/- के साथ ।
2. नगर निगम सागर से स्थापना पंजीकरण
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का पंजीकरण
5. वाणिज्यकर अधिकारी से व्यापार हेतु अनुमत पदार्थ की सूची
5. वाणिज्य कर विभाग का पंजीयन
6. वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से आयात-निर्यात हेतु प्रमाणीकरण
7. रजिस्ट्रार कम्पनीज का पंजीकरण
8. वाणिज्यकर विभाग का स्थायी लेखा संख्या
9. संबंधित कम्पनी की लिखित अनुमति
10. स्थल नक्शा व भूमि संबंधी दस्तावेज
11. निर्धारित अनुज्ञाप्ति शुल्क, एवं प्रतिभूति राशि ।
12. विस्फोटक नियंत्रक की अनुज्ञाप्ति ।

2-IV. उचित मूल्य दुकान आवंटन

शहरी क्षेत्र के लिये—

- | | |
|--|---|
| पात्रता— | <ol style="list-style-type: none"> 1. जिले में कार्यरत सहकारी उपभोक्ता भण्डार 2. महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार |
| आवेदन कब करें— जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल द्वारा रिक्ति की पूर्ति हेतु सूचना जारी होने पर। | |
| कहां आवेदन करें— जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, भोपाल/अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया / हुजूर कार्यालय स्थित खाद्य शाखा को। | |

दुकान आवंटन के आवेदन के निराकरण की समय सीमा—
गलत आवंटन की षिकायत कहां होगी—

आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर, भोपाल को 30 दिवस के

अंदर अपील करने के प्रावधान हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए—

पात्रता— कृषि साख सहकारी समितियां।
आवेदन कब करें— अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वितरणों की पूर्ति हेतु सूचना जारी करने पर।
कहां आवेदन करें— अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय स्थित खाद्य शाखा को।

दुकान आवंटन के आवेदन के
निराकरण की समय सीमा—
गलत आवंटन की विकायत कहां
होगी—

आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

मध्य प्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर, भोपाल को 30 दिवस के अंदर अपील करने के प्रावधान हैं ।

कार्यालय जिलाध्यक्ष (खाद्य शाखा) सागर

क्रमांक /खाद्य/अनुबंध पत्र/ भोपाल, दिनांक
क. एफ. 6-28-93-उन्तीस-2- राज्य सरकार फूड स्टफ्स (डिस्ट्रीब्यूशन) कंट्रोल ऑर्डर, 1960 के खण्ड 4 के अनुसरण में बनाई गई मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति विवरण स्कीम, 1991 के खण्ड 5 के अन्तर्गत तथा इस विभाग के विज्ञप्ति क्र. एफ 6-63-91-उन्तीस-2, दिनांक 9 सितम्बर 1991 को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुबंध पत्र विहित करता हैः—

अनुबंध पत्र

यह करार आज दिनांक माह वर्ष को मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जिन्हें इसके पश्चात राज्यपाल कहा जाएगा प्रथम पक्षकार तथा म0प्र0 सहकारी सोसाइटी एक्ट 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी सोसाइटी/उपभोक्ता भण्डार जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है, द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी (मुख्य/कार्यपालन अधिकारी) आत्मज/आत्मजा/पत्नी आयु निवासी अधिकारी) आत्मज/आत्मजा/पत्नी आयु निवासी स्थान तहसील एवं राजस्व जिला मध्यप्रदेश द्वितीय पक्षकार के मध्य निष्पादित किया जाता हैः—

चूंकि राज्य सरकार द्वारा खोली गई या खोली जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के मार्फत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 1991 के नाम से लागू की गई है और चूंकि उक्त मध्यप्रदेश फूड स्टफ्स (डिस्ट्रीब्यूशन) कंट्रोल ऑर्डर 1960 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अधीन कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है कि वह सरकारी स्कीम के अधीन किसी भी क्षेत्र में खाद्य पदार्थों का वितरण करने की दृष्टि से किसी भी सहकारी संस्था को “फुटकर विक्रेता” नियुक्त करें। इस स्कीम के सम्यक पालन के लिए आवंटिती को प्रति दुकान राशि रुपये 500/- और चूंकि द्वितीय पक्षकार ने दिनांक के अपने आवेदन पत्र द्वारा राज्य सरकार को आवेदन किया है कि स्थान नगर ग्राम तहसील पंचायत/खण्ड राजस्व जिला में स्थित दुकान, उचित मूल्य की दुकान के रूप में आवंटन हेतु अनुमोदित की जाए और द्वितीय पक्षकार को खाद्य पदार्थों के क्रय, विक्रय तथा वितरण के लिए आवंटिती तथा प्राधिकृत विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जाए।

और चूंकि राज्यपाल द्वितीय पक्षकार को, इसमें इसके पश्चात दिये गये निर्बन्धनों पर तथा दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपरिक्तित स्थान पर उचित मूल्य की दुकान क्रमांक आवंटित करने के लिए रजामंद हो गई है। और चूंकि द्वितीय पक्षकार ने इस करार के निष्पादन की

तारीख को या उसके पूर्व उपर्युक्त स्कीम के पैरा 5 के भाग (दो) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार निर्बन्धनों तथा शर्तों का सम्यक पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में रूपये राशि जमा कर दी है।

इसके प्रतिफल स्वरूप, इस करार में उल्लिखित उचित मूल्य की दुकान राज्यपाल द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित कमीशन, परिवहन की लागत तथा अन्य व्ययों के आधार पर द्वितीय पक्षकार को आवंटित की है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य है:-

1. राज्यपाल एतद द्वारा उपर्युक्त स्थान पर युक्त दुकान कमांक के उचित मूल्य की दुकान के रूप में आवंटन को अनुमोदित करती है और खाद्य पदार्थों के ऐसे स्टाक, के जो द्वितीय पक्षकार को दिया जाए, क्य हेतु, तथा ऐसी दरों पर, जो कि, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से समय—समय पर नियत की जाए, उसके वितरण तथा विक्रय हेतु, उक्त उचित मूल्य की दुकान के संबंध में आवंटिती तथा प्राधिकृत फुटकर विक्रेताओं के रूप में द्वितीय पक्षकार की नियुक्ति को अनुमोदित करती है।
2. इसमें दी गई कोई बात, उक्त स्कीम के अधीन उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए द्वितीय पक्षकार को कोई एकाधिकार या सम्पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करेगी या उससे यह नहीं समझा जाएगा कि उक्त स्कीम के अधीन उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए कोई एकाधिकार या सम्पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्षकार को प्रदत्त कर दिये हैं तथा राज्यपाल को भी समय—समय पर यह स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उक्त क्षेत्र में कितनी भी संख्या में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करें तथा आवंटिती तथा प्राधिकृत फुटकर विक्रेता के रूप में किन्हीं अन्य पात्र संस्थाओं को नियुक्त करें।
3. द्वितीय पक्षकार, उसके आवंटित उचित मूल्य की दुकान राज्यपाल के लाभ के लिए संचालित करेगा तथा चलाएगा, किन्तु द्वितीय पक्षकार को उचित मूल्य की दुकान के संबंध में कोई वैद्य हक प्राप्त नहीं होगा।
4. इस करार के चालू रहने के दौरान, द्वितीय पक्षकार, समय—समय पर तथा पर्याप्त समय पूर्व राज्यपाल ऐसे आयोजन के लिए समय—समय पर प्राधिकृत उसके अधिकारी को, ऐसी निश्चित मात्रा में तथा ऐसी रीति में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित या उपदर्शित किया जाए, उसको द्वितीय पक्षकार खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं के क्य हेतु आदेश (ऑर्डर) प्रस्तुत करेगा और यह कि ऐसे सभी आदेश (आर्डर) आवेदन के रूप में होंगे जो संबंधित राजस्व जिले के कलेक्टर या उस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को संबोधित किये जाएंगे और ऐसे आवेदन का प्रारूप राज्य सरकार या संबंधित राजस्व जिले के कलेक्टर द्वारा विहित किया जावेगा।
5. उपरोक्तानुसार खाद्य पदार्थों के प्रदाय हेतु ऑर्डर के प्राप्त होने पर राज्य सरकार उसके सत्यापन के पश्चात खाद्य पदार्थों की उतनी मात्रा या उसका उतना भाग, जो कि राज्य सरकार उचित समझे दे सकेगी।
6. उक्त खण्ड (5) में उपबंधित किये गये अनुसार दिया गया स्टाक उठाने के पूर्व द्वितीय पक्षकार उस थोक व्यापारी को या किसी अन्य ऐसे अभिकरण (एजेंसी) को, जिससे कि माल का परिदान लिया जाना है, तत्समय प्रवत्त विधि के उपबंधों के अध्यधनी रहते हुए, राज्यपाल द्वारा या थोक व्यापारी द्वारा या अभिकरण द्वारा, विहित की गई दर से, ऐसी रीति में जैसा कि राज्यपाल द्वारा विहित किया जाए, सम्पूर्ण क्य मूल्य का भुगतान करेगा इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लेखें में सरकारी खजाने में या जैसा कि राज्य द्वारा अपेक्षित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से संबंधित खाद्य पदार्थ के संबंध में प्रशासन प्रभारी की सम्पूर्ण रकम का भी भुगतान करेगा और द्वितीय पक्षकार उसके द्वारा किये गये भुगतान के समर्थन में एक रसीदी—मूल चालान या अन्य साक्ष्य राज्यपाल द्वारा विहित रीति में पेश करेगा।

7. राज्यपाल किसी बाध्यता के अधीन नहीं होंगे कि वह द्वितीय पक्षकार द्वारा आदेशित मात्रा में उक्त खाद्य पदार्थ का प्रदाय करें और न ही राज्यपाल द्वितीय पक्षकार, के प्रति ऐसी किसी प्रतिकार या नुकसानी के लिये दायी होगा जो कि द्वितीय पक्षकार को खाद्य पदार्थ के या उसके किसी भाग के प्रदाय न किये जाने, कम प्रदाय किये जाने, मार्ग में हानि या परिदान में विलम्ब होने या उसमें नुकसान या उसके खराब होने के कारण हो। द्वितीय पक्षकार अकेले ही ऐसी नुकसानी या हानि वहन करेगा। परन्तु द्वितीय पक्षकार द्वारा आदेशित मात्रा में खाद्य पदार्थ का प्रदाय न करने या कम मात्रा में प्रदाय करने की दशा में उतनी मात्रा के संबंध में जो प्रदाय न की गई हो, या कम प्रदाय की गई हो, अनुपातिक मूल्य तथा आनुपातिक प्रशासनिक प्रभार द्वितीय पक्षकार को लौटा दिया जाएगा या यदि खाद्य पदार्थ की कोई मात्रा परिदत्त न की गई हो या कम परिदत्त की गई हो तो भावी पदार्थों के प्रति समायोजित की जा सकेगी। राज्यपाल द्वारा प्राधिकारी द्वारा या उस थोक विकेता या अभिकरण के द्वारा, जहां से माल उठाया गया हो, हस्ताक्षरित उस संबंध में एक प्रमाण—पत्र जिसमें परिदत्त की गई मात्राओं के परिमाण—प्रमाणित किये गये हो, किसी काट या दुरभिसंधि या त्रुटि के न होने की स्थिति में अंतिम होगा तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।
8. द्वितीय पक्षकारः— (क) ऊपर के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट साग पत्र नियमित अन्तरावधियों में तथा पर्याप्त समय पहले भेजेगा और इस करारनामे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान खाद्य पदार्थ का पर्याप्त भण्डार उक्त उचित मूल्य की दुकान में रखेगा।
- (ख) उक्त खाद्य पदार्थ को अच्छी स्थिति सदैव मानव उपभोग के लिए उपयुक्त स्थिति में सुरक्षित रखेगा।
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए निम्नलिखित बोर्ड प्रदर्शित करेगा:—
- (एक) आवंटित उचित मूल्य की दुकान के बिल्कुल ऊपर सामने की ओर एक बोर्ड हिन्दी में लगाया जाएगा, जिसमें प्राधिकृत विकेता का आवंटन क्रमांक, नाम, पता तथा सार्वजनिक लेनदेन के लिए दुकान खुली रहने का समय लिखा रहेगा। यह बोर्ड 150ग 75 से.मी. के आकार का होगा। बोर्ड का रंग नीला होगा। तथा जिस पर शीर्षक “उचित मूल्य की दुकान” बड़े—बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा।
- (दो) दूसरा बोर्ड हिन्दी में मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 के पैरा 10(1) में तथा उपबंधित तरीके से आवंटित उचित मूल्य की दुकान के किसी सहजगोचर स्थान पर लगाया जाएगा, जिसमें तारीख, स्टाक की स्थिति तथा उस दिन विभिन्न खाद्य पदार्थों की फुटकर कीमत प्रत्येक यूनिट पर वितरण हेतु अनुज्ञेय मात्रा तथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर रजिस्ट्रीकृत यूनिटों की संख्या सफेद रंग से लिखी रहेगी। इस बोर्ड का आकार 120 से.मी.ग90 सें.मी. होगा और वह काले रंग से पुता होगा।
- (घ) सहकारी संस्था संबंधित उचित मूल्य दुकान चलाने संबंधी प्राधिकार प्रदर्शित करेगा।
- (ङ.) सहकार संस्था सरकार द्वारा जारी किये गये परिवार राशनकार्ड धारण करने वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्ड पेश करने पर अनुज्ञेय मात्रा में और ऐसे मूल्यों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर नियत की जाय। उक्त खाद्य पदार्थों को बेचेगा और राशनकार्डों में खाद्य पदार्थों के विक्रय या वितरण के लिये दिये गये स्थान में सभी आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या करवायेगा।
- (च) राशन कार्ड धारियों को असुविधा न हो इस उद्देश्य से पर्याप्त रेजगारी रखेगा।
- (छ) प्रत्येक दुकान पर चालू वित्तीय वर्ष में उक्त खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, वितरण तथा विक्रय की स्पष्ट रूप से की गई अद्यतन सही—सही तथा उचित लेखे, समर्पण वाऊचर और अन्य कागजात सहित रखेगा या रखवायेगा और विशेष रूप से राज्यपाल द्वारा निहित प्रारूप में निम्नलिखित पुस्तकें,

रजिस्टर तथा फाइलें रखेगा अर्थात् जिस तारीख को वितरण किया जाता है उसी तारीख को लेखा पूर्ण करेगा:-

- (एक) शिकायत पुस्तक,
- (दो) हिदायत पुस्तक (निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सामान्य हिदायतों के लिए)
- (तीन) राशनकार्ड रजिस्टर,
- (चार) निगम एजेन्सियों से प्राप्त गोदाम बिलों की फाइलें,
- (पांच) मांग पत्रों की प्रतियों की फाइल,
- (छ:) स्टाक रजिस्टर,
- (सात) केश—मेमो बुक,
- (आठ) दैनिक बिक्री रजिस्टर,,
- (नौ) कैश बुक,
- (दस) खाता (लेजर)

- (ज) कलेक्टर द्वारा नियत तारीखों को, यथा स्थिति कलेक्टर, खाद्य अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी को खाद्य पदार्थों के क्रय एवं विक्रय की साप्ताहिक विवरणी देगा। ताकि मांग पत्र विहित फार्म में प्रत्येक मास में भेजेगा।
 - (झ) यदि द्वितीय पक्षकार को एक से अधिक दुकानें आवंटित की गई हो तो वह ऐसी प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए लेखाओं के पृथक सेट रखेगा।
 - (अ) ऐसे समस्त अनुदेशों का पालन करेगा और उन्हें लागू करेगा जो उसे राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय या विक्रय हेतु संग्रहण के लिये समय-समय पर दिये जाएंगे।
 - (ट) सहकारी संस्था या मुख्य कार्यपालन अधिकारी उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, इसके अतिरिक्त सहकारी संस्था के प्रबंधक, सेल्समेन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न कर्मचारी जिन्हें द्वितीय पक्षकारों के अनुदेशों के अधीन या लाभ के लिए आवंटित उचित मूल्य की दुकान पर कार्य करने की अनुमति दी गई हो, समस्त कृत्यों तथा अकृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
9. द्वितीय पक्षकारः— (क) उसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी किस्म या समान किस्म के किसी खाद्य पदार्थ की खरीद, वितरण या बिक्री में स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं करेगा।
- (ख) (एक) संबंधित आवंटित उचित मूल्य की दुकान या
 - (दो) यथास्थिति कलेक्टर या खाद्य अधिकारी/नियंत्रक/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर, उसके द्वारा उठाये गये खाद्य पदार्थों का स्टाक या संग्रहण नहीं करेगा।
 - (ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति को छोड़कर उक्त खाद्य पदार्थों के स्टाक को नष्ट नहीं करेगा।
 - (घ) उक्त खाद्य पदार्थों में कोई अन्य अनाज, धूल मिटटी नहीं मिलाने देगा या उनहे क्षय ग्रस्त, क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं होने देगा।
 - (ङ) उक्त खाद्य पदार्थ को :—
 - (एक) किसी ऐसे व्यक्ति को जो वैद्य राशनकार्ड प्रस्तुत नहीं करता ।
 - (दो) किसी राशनकार्ड पर जो रद्द कर दिया गया हो ।
 - (तीन) किसी राशनकार्ड पर जो किसी कारण से अवैद्य हो ।

- (चार) उस राशन कार्ड की संख्या पर कलेक्टर ने खरीद के लिये प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया हो, नहीं देगा या बेचने का प्रयास नहीं करेगा ।
- (च) कार्डधारी को बेचे गये खाद्य पदार्थों को अपने पास नहीं रखेगा ।
- (छ) किसी राशनकार्डधारी के किसी राशनकार्ड को अपने पास नहीं रखेगा ।
- (ज) उपरोक्त पैरा (8) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें तथा कागज पत्रों या उनमें से किसी को उक्त उचित मूल्य दुकान से नहीं हटायेगा और
- (झ) शासन द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों से माल प्राप्ती एवं वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा ।
- 10.** राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को नायब तहसीलदार के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी के न हो और जो खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों को , जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सहायक निरीक्षक के पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो अपने—अपने क्षेत्राधिकार के भीतर युक्तियुक्त समय में उचित मूल्य की दुकान पर पूर्ण और निर्बाद पहुंच होगी और वह उक्त दुकान में प्रवेश कर सकेंगे तथा सभी पुस्तकों, कागज पत्रों, व्हाउचरों तथा उक्त पदार्थों का स्टाक का निरीक्षण कर सकेंगे और उनके नमूने ले सकेंगे और द्वितीय पक्षकार ऐसे निरीक्षण करने में तथा नमूने लेने में उनको पूरी सहायता देगा और प्रत्यक्ष सुविधाये प्रदान करेगा और उनके समक्ष समस्त सुसंगत पुस्तकों और कागज पत्र और व्हाउचर प्रस्तुत करेगा और मांग करने पर ऐसे उद्वरण या प्रतिलिपियां या विवरण प्रदान करेगा जैसा उनके द्वारा अपेक्षित किया जाये या जो कि आवश्यक समझे जायें ।
- 11.** द्वितीय पक्षकार इस करार के किन्हीं निर्बन्धों तथा शर्तों में से किसी भी भंग होने की दशा में राज्य सरकार स्वतंत्र होगी की वह इसके लिये विद्यि में उपलब्ध किन्हीं अन्य विधिक उपचारों (जिसमें इस करार का पर्यावर्सान सम्मिलित है) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दंड स्वरूप प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भी भाग जप्त करें या इस करार के अधीन शोध्य किन्हीं राशि को तुष्टि में या उसके प्रति और इस करार के अधीन किसी दाबा या किसी मांग के लिये (चाहे परिनिर्धारित हो नहीं) जो किसी भी समय सरकार द्वारा या सरकार की ओर से द्वितीय पक्षकार से या उसके विरुद्ध किया जावे या की जावे (प्रतिभूति जमा की) विनियोजित करें । द्वितीय पक्षकार जमा की मूल रकम को हमेशा बनाये रखेगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर जमा की मूल रकम को पूरा करने के लिये नकदी रकम तत्काल जमा करेगा । द्वितीय पक्षकार के द्वारा इस करार के अधीन समस्त बाध्यताओं का समयक रूप से पालन कर दिये जाने पर जमा की वह रकम या उसका ऐसा भाग जो उपर्युक्त अनुसार समष्टत या विनियोजित न किया गया हो । इस करार पर्यावर्सान हो जाने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार को लौटा दिया जावेगा या अंतरित कर दिया जावेगा । इस करार का पर्यावर्सान करने, उचित मूल्य की दुकान को रद्द करने या सम्पूर्ण जमा राशि या उसके किसी भाग को समष्टत करने के लिये कोई कार्यवाही, यथास्थिती राज्य सरकार या कलेक्टर या कलेक्टर/खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी द्वारा तबतक नहीं की जावेगी जब तक की कारण बताओं सूचना द्वितीय पक्षकार को न दे दी गई हो और उस पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।
- 12.** राज्यपाल की ओर इस करार के अधीन दी जाने वाली समस्त सूचनाये, सहमतियां तथा अनुज्ञाएं लिखित में होगी और उन पर यथास्थिती राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे और द्वितीय पक्षकार को दी जाने वाली कोई सूचना उस स्थिती में समयक रूप से तामील की गई समझी जावेगी जबकि यह सूचना विशेष वाहक द्वारा दी गई हो या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो, उक्त दुकान के द्वितीय पक्षकार का परिदत्त कर दी गई हो , उसी प्रकार इस करार के अधीन राज्य सरकार को दी जाने वाली समस्त आशयित सूचनाये लिखित में होगी और उनहें सरकार पर समयक रूप से तामील किया गया समझा जावेगा जबकि या यथास्थिती कलेक्टर/सहायक कलेक्टर / खाद्य अधिकारी/नियंत्रक या उपखण्ड अधिकारी पर तामील की गई हो ।
- 13.** किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को 30 दिन की लिखित सूचना उस सबंध में देकर इस करार का पर्यावर्सान करने की स्वतंत्रता होगी और ऐसी सूचना कि कालाबधि समाप्त होने पर किसी अधिकार पर जो ऐसे पर्यावर्सान के पूर्व राज्य सरकार को प्रोधभूत हुआ हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह करार नहीं रहेगा तथा उसका पर्यावर्सान हो जावेगा और ऐसी समाप्ति पर राज्य सरकार यह

विकल्प होगा कि वह द्वितीय पक्षकार से अपेक्षा करें कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को लागत मूल्य पर खाद्य पदार्थ का अवितरित भंडार बेचें और अंतरित कर दे किन्तु ऐसे पर्यावर्सान का खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिये ऐसे आदेश के संबंध में जो ऐसे पर्यावर्सान के पूर्व दिया गया हो द्वितीय पक्षकार के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. द्वितीय पक्षकार मध्यप्रदेश (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 में अंतरविष्ट शर्तों के अनुसार कार्य करेगा।
15. करार के संबंध में देयक स्टाम्प शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
16. अनुबंध पत्र को उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन माना जाकर दण्डनीय होगा।

इस साक्ष्य में..... मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अपने हस्ताक्षर किये हैं और इस कार्यालय की मोहर लगाई है और श्री/श्रीमती/कुमारी/..... ने ऊपर उल्लेखित तारीख तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये हैं, निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में श्री/श्रीमान/कुमारी..... ने हस्ताक्षर किये मोहर लगाई तथा परिदत्त किया:-

- (1). नाम.....
पता.....
- (2) नाम.....
पता.....
ऊपर नामांकित श्री/श्रीमती/कुमारी.....
ने श्री
.....और श्री..... की उपस्थिति
में हस्ताक्षर किये तथा परिदत्त किया।

हस्ताक्षर.....
अध्यक्ष.....
संस्था.....

2- V. राशन कार्ड

1. गरीबी रेखा के राशन कार्ड हेतु शहरी विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा जारी सर्वे सूची में नाम दर्ज होना चाहिये।

कौन जारी करेगा— जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी। आवेदन पश्चात राशनकार्ड जारी करने की अवधि— 30 दिवस में

2. सामान्य राशनकार्ड हेतु—

आवेदन उपलब्धता— 1. ग्राम पंचायत कार्यालय।

2. नगर पंचायत / नगर निगम प्रक्षेत्र में (उनके संबंधित कार्यालय में)

कौन जारी करेगा— जिला मुख्यालय पर— नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशनकार्ड जारी किए जावेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए— ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जावेंगे।

आवेदन पश्चात राशनकार्ड जारी करने की अवधि— 30 दिवस में

नया राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र सह आवेदन :-

प्रपत्र 'अ'

नया राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु घोषणा पत्र सह आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,
जिला—भोपाल
मध्य प्रदेश ।

1. मैं (परिवार के मुखिया का नाम) पुत्र/पत्नी.....
2. वर्तमान पता..... गली नं..... मोहल्ला..... वार्ड नं.
3. स्थायी पता गली नं..... मोहल्ला..... वार्ड नं.
इस नगर में वर्ष से रहता हूँ ।
4. गरीबी की रेखा की सूची में उसका सरल क्रमांक वार्ड क है ।
5. व्यवसाय पद वार्षिक आय
6. कार्य स्थल/कार्यालय का पता
7. मेरा वर्तमान राशन कार्ड नं. सदस्य संख्या..... यूनिट संख्या..... है व उचित मूल्य दुकान क्रमांक है ।
8. मेरे पास ग्राम तहसील जिला
(मध्य प्रदेश का राशन कार्ड क्रमांक है जो मैं इस घोषणा पत्र के साथ जमा कर रहा हूँ)
9. मुझे पूर्व में कभी राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है ।
10. मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण (आज की स्थिति में) निम्नानुसार है :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से रिश्ता
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

11. मैं यह घोषणा करता हूँ कि कंडिका 10 में मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम न तो पृथक से राशन कार्ड हैं तथा न ही उनमें से किसी का नाम मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के राशनकार्ड में दर्ज है । मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है । मुझे ज्ञात है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं भारतीय दण्ड संविधान तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्ड का भागी हूँगा जिसके तहत 7 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों की सजा दी जा सकती है ।

स्थल
दिनांक

हस्ताक्षर (मुखिया)
नाम

12. मैं (गवाह का नाम) आत्मज
- निवास मकान नं. गली..... मोहल्ला

वार्ड नं.आवेदक श्री द्वारा कंडिका 10 में दी गयी समस्त जानकारी की पुष्टि करता है कि मुझे ज्ञात है कि झूठी पुष्टि करने के फलस्वरूप मुझे कानूनी दण्ड दिया जा सकता है ।

हस्ताक्षर (मुखिया)
गवाह राशन कार्ड नं.....
दुकान नं.....

केवल कार्यालय के उपयोग के लिये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

श्री (मुखिया का नाम) के घर पर दिनांक को जांच की तथा उनका मौके पर निवास प्रमाणित होता है / नहीं होता है, उनका सर्वे सूची क्रमांक पर नाम अंकित है/ सर्वे सूची में नाम उपलब्ध नहीं है ।

हस्ताक्षर (जांच कर्ता)	हस्ताक्षर (जांच कर्ता)
नाम (जांच कर्ता)	नाम (जांच कर्ता)

पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट

स्थल निरीक्षण में आवेदक परिवार का मौके पर निवास प्रमाणित हुआ है/ नहीं हुआ है अतः परिवार को नया राशन कार्ड क्रमांक जारी किया जाये/ राशन कार्ड जारी नहीं किया जाये ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक क्र. (1)	पर्यवेक्षक क्र. (2)

नोट :- इस आवेदन के साथ परिवार के मुखिया की दो पासपोर्ट फोटो, राशन कार्ड शुल्क रूपये की रसीद तथा पुराना राशन कार्ड (जिनके पास है) जमा करना अनिवार्य है ।

राशन कार्ड हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदक आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां विधिवत पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र पर एक गवाह से जानकारी की पुष्टि कराने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट फोटो, निवास की पुष्टि का दस्तावेज, राशन कार्ड शुल्क के साथ कार्यालय में जमा करेगा ।
2. कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर आवेदन पत्र की जांच कराकर आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही पाये जाने एवं संबंधित सर्वे सूची में आवेदक का क्रमांक व नाम पाये जाने पर राशन कार्ड जारी करेगा । अपात्र पाये जाने पर आवेदक को सूचित किया जावेगा ।

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यकमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलैक्ट्रनिक फार्मेट में हो।

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय, भोपाल

- प्रदाय व्यवस्था—
 - भारतीय खाद्य निगम का एक बेस डिपो से APL/BPL/AAY
 - मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के 2 प्रदाय केन्द्र
 - 18 लीड समितियों व 762 लिंक समितियों
 - कुल 762 उचित मूल्य दुकानें –
119 शहरी क्षेत्र में व 643 ग्रामीण क्षेत्र में
 - प्रदेष को खाद्यान्न, शक्कर/केरोसीन का आवंटन
 - ए.पी.एल—
 - बी.पी.एल— गेहूं 4400 मै.टन, चावल 750 मै.टन प्रति माह।
 - अन्त्योदय अन्न योजना— गेहूं 1466 मै.टन, चावल 111 मै.टन प्रतिमाह।
 - शक्कर— मै.टन प्रति माह (बी.पी.एल/ए.ए.वाय परिवारों के लिए)
 - केरोसीन— 1848 किलो लीटर प्रति माह।
- उपभोक्ता दर
- ए.पी.एल— गेहूं रूपये 7.00 चावल रूपये 9.20 प्रति किलो।
 - बी.पी.एल— गेहूं रूपये 5.00 चावल रूपये 6.50 प्रति किलो।
 - शक्कर— रूपये 13.50 प्रति किलो।
 - केरोसीन—रूपये 8.69 से रूपये 8..86 प्रति लीटर।
- वितरण मापदण्ड
- खाद्यान्न— APL/ BPL तथा अन्त्योदय परिवारों के लिए 35 किलो प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह।
 - शक्कर— 500 ग्राम तक प्रति सदस्य प्रतिमाह बी.पी.एल/ए.ए.वाय. परिवार के लिये।
 - केरोसीन—शहरी क्षेत्र में 5 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 3 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं हाट-बाजार में 2 लीटर बिना राशनकार्ड
 - जिले में राषनकार्ड की स्थिति—

- सामान्य राशन कार्ड— 217755
- कुल BPL परिवारों के नीले राशन कार्ड 239477
- पीले अन्त्योदय राशन कार्ड 45255

- पहुंचविहीन क्षेत्रों में भण्डारण—
- जिले में कोई पहुंचविहीन क्षेत्र नहीं है परन्तु वर्षा ऋतु में मार्ग अवरुद्ध होने पर दुर्गम केन्द्रों पर वर्षा ऋतु के चार माह के लिये पूर्व से आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है।

- समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन
- मोटे अनाज की कोई खरीदी नहीं हुई ।
खरीफ विपणन वर्ष 2005–2006 —कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

ज्वार बाजरा का समर्थन मूल्य 525 रुपये प्रति किवंटल
मक्का का समर्थन मूल्य 540 रुपये प्रति किवंटल ।
सोयाबीन पीला 1010/- रु. प्रति किवंटल ।
सोयाबीन काला 900 /— रु. प्रति किवंटल ।
धान कामन 570/- रु. प्रति किवंटल ।
धान ग्रेड ए 600/- रु. प्रति किवंटल ।

- गेहूं उपार्जन—
- भारत शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर एफएक्यू के निर्धारित मापदण्डों से छूट।
- रबी विपणन वर्ष 2005–06 के लिये गेहूं का समर्थन मूल्य रु. 630/- प्रति किवंटल।
- खरीदी एजेंसी – जिले में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में।
- खरीदी का कार्य पंजीकृत सेवा सहकारी समितियों एवं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से।
- खरीदी अवधि दिनांक 15.3.2005 से 31.5.2005 तक।
- दिनांक 31.5.2005 तक .12191.6 मे0टन गेहूं , 10376.8 मैटन चना, 687.6 मैटन मसूर की खरीदी।
- गत् तीन वर्षों के विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव बी.पी.एल. (मे0टन)

माह	गेहूं	चांवल
-----	-------	-------

	आवंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आवंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
जुलाई 05	54200	47579		54.00	53.00	
अगस्त 05	52520	56887		50.90	62.85	
सितम्बर05	52520	56887		50.90	62.85	

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव अन्त्योदय अन्न योजना (मेरठन)

माह	गेंहूँ			चांवल		
	आवंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आवंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
जुलाई 05	14660	13211		1110	1043	
अगस्त 05	14660	13078		1110	996	
सितम्बर05	14660	15930		14660	15930	

अध्याय— 17

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण जैसे
- 1.अखबारों के द्वारा— समाचारों को जारी कर प्रचार-प्रसार।
 - 2.प्रदर्शनी— 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस
 - 3.सूचना पटल— कार्यालय में प्रदर्शित।
 - 4.अभिलेखों का निरीक्षण— निरीक्षण की व्यवस्था है।
 - 5.दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था— हॉ। संशुल्क है।
 - 6.उपलब्ध विभागीय मैनुअल — विभाग की वेबसाइट www.mp.nic.in/mpfood . पर उपलब्ध ।
 - 7.लोक प्राधिकरण की वेबसाइट— उपलब्ध है।
 - 8.अन्य प्रचार-प्रसार के साधन— जनसमस्या एवं सूचना ऐविर आदि।
 9. जन प्रतिनिधियों एवं पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक आवंटन एवं प्रदाय की जानकारी पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाती है ।

अध्याय— 18

अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूँजे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर।

1. राषनकार्ड बनाने की प्रक्रिया क्या है?
—बिन्दु क्रमांक 15.1 के अंतर्गत प्रक्रिया का उल्लेख है।
2. शासकीय उचित मूल्य दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटा किस प्रकार आवंटित किया जाता है?

—जिले को प्राप्त आवंटन को समानुपातिक पुनरावंटन कर कोटा शासकीय उचित मूल्य दुकान को आवंटित किया जाता है।

3. शासकीय उचित मूल्य दुकान/केरोसीन फुटकर अनुज्ञाप्ति/हाकर आवंटन की प्रक्रिया क्या है?

—शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहकारिता क्षेत्र के उपभोक्ता भण्डारों को शहरी क्षेत्र में एवं कृषि साथ सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित की जाती है। आवंटन प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 15.1 के अंतर्गत उल्लेखित है। केरोसीन फुटकर अनुज्ञाप्ति/हाकर की नियुक्ति शासन द्वारा प्रतिबधित होने से बंद है।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

विषय : लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी का प्रदाय।

आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता

वांछित जानकारी का पूर्ण विवरण

वांछित जानकारी किस रूप में चाही जा रही है— (फोटोकापी/फ्लापी/सीडी)
(संबंधित पर सही का निशान लगाए)

आवेदन का दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

पावती (दो प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक _____

वांछित जानकारी हेतु प्राप्त शुल्क का विवरण-----

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
नाम एवं पदनाम_____

शुल्कः— बिन्दु क्रमांक 1.7 के अंतर्गत उल्लेखित है।

सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाये— निर्धारित उपरोक्त आवेदन के प्रारूप में।

सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया
—अध्याय—1 के बिन्दु 1.7 में वर्णित है।

18.3 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण— विष्व उपभोक्ता दिवस।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा— 1— 2 दिवस।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य— उपभोक्ता जागृति।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)—कोई लक्ष्य नहीं
लाभार्थी की पात्रता— सामान्य

पूर्वापेक्षायें (यदि हो तो) — नहीं

अनुदान/सहायता (यदि हो तो) — नहीं

18.4 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल— 13 में न सम्मिलित हो
जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाने के कारण^{लागू नहीं है}

18.5 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में होने वाले पंजीयन के संबंध में

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा डीजल पेट्रोल, केरोसीन तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ एवं
उचित मूल्य दुकानों का पंजीयन किया जाता है।

18.6 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय (आदि) द्वारा टेक्स लेने के संबंध में

जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा कोई टेक्स वसूली नहीं की जाती।

18.7 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नागरिकों दी जाने वाले बिजली/पानी के
कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थाई/स्थाई रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना
स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/यू.पी.सी.एल. द्वारा दी जा सकती है)
लागू नहीं।

18.8 जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय द्वारा नागरिकों दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

जानकारी उपरोक्त कंडिकाओं में दी गयी है।